UNDER- ISLAMIC WELFARE SOCIETY, MIRZAPUR (REG.NO. 1167)

किताब का नाम – क़ुरआन–ओ–हदीस के ख़िलाफ़ फ़िक़्ह के गन्दे व ग़लत मसाएल अ़वाम की अ़दालत में

लेखक – ख़ुर्शीद अ़ब्दुर्रशीद 'मुहम्मदी' (एम0ए0)

प्रथम बार प्रकाशित – 1000 प्रतियां (मार्च, सन् 2007 ई0)

द्वितीय बार प्रकाशित – 1000 प्रतियाँ (नवम्बर, सन् 2011 ई0)

सहयोग राशि – 50/– रूपये मात्र

–:प्रकाशक:–

IRDC

इस्लामिक रिसर्च एण्ड दा'वा सेन्टर

कटरा कोतवाली के पीछे, मुहम्मदी गली

मिर्ज़ापुर–231001 (यू0पी0)

मो0 – 9919737053

email:islamicresearch01@yahoo.com

शिर्क–ओ–बिद्अ़त के ख़िलाफ़ ऐलान–ए–जंग

(मुक़ल्लदीन–ए–देवबन्द व बरेलवी के घिनौने पर्चों का

हिन्दी में पहली बार ठोस, बेबाक व निष्पक्ष जवाब)

कुरआ़न–ओ–हदीस के ख़िलाफ़

फ़िक़्ह के गन्दे व ग़लत मसाएल

अ़वाम की अ़दालत में

लेखक :– ख़ुर्शीद अ़ब्दुर्रशीद 'मुहम्मदी' (एम0ए0)

प्रकाशक

इस्लामिक रिसर्च एण्ड दा'वा सेन्टर

कटरा कोतवाली के पीछे,

मुहम्मदी गली

मिर्ज़ापुर–231001 (यू0पी0)

कहाँ क्या है ?

पृष्ठ सं0

—:ऐलानः—

इस किताब में लिखे गये सारे हवाले सच व सही हैं और पंजीकृत संस्था इस्लामिक वेलफ़ेयर सोसाइटी— मिर्ज़ापुर द्वारा संचालित इस्लामिक रिसर्च एण्ड दा'वा सेन्टर— मिर्ज़ापुर में सुरक्षित रखे हैं, जिन लोगों को देखना हो वो स्वयं आकर देख सकते हैं अगर फ़ोटो कॉपी चाहें तो वो भी हासिल कर सकते हैं। (इन्शाअल्लाह)

ये किताब मिर्ज़ापुर (यू0पी0) शहर में हनफ़ी मुक़ल्लदीन—ए—देवबन्द व बरेलवियत के डॉ0 मुहम्मद तौहीद, मौ0 नौशाद, हाफ़िज़ निसार व दीगर नाम— निहाद ओ़लमा वगैरह के ज़रिये निकाले गये उन इश्तिहारों व किताबचों के जवाब में पेश की जा रही है जिनमें इन लोगों ने बेहूदा, घिनौने और गन्दे व ग़लत मसाएल लिखकर उसे अहलेहदीस मस्लक की तरफ मंसूब किया है। लिहाज़ा— इस किताब के ज़रिये उन्हें आईना दिखलाने की कोशिश की गयी है कि अपनी गन्दगियों को हक़ वाली जमाअ़त अहलेहदीस पर थोंपना बन्द करें और खुद अपने गिरेहबाँ में झांक कर देखें, और हां—इनके हनफ़ी मस्लक की फ़िक़्ह की किताबों व देवबन्दी—बरेलवी ओ़लमा की किताबों के वो ही हवाले यहाँ दिये जा रहे हैं जो हमारे पास मौजूद हैं फ़िलहाल तो हम

सिर्फ चन्द नमूने ''ट्रेलर'' के तौर पर ही पेश कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो आईन्दा इन्शाअल्लाह..

(प्रकाशक)

मौ0 हाफ़िज़ मुहम्मद साजिद 'नदवी' के उद्‌गार

अहलेहदीस और अहल–ए–तक़्लीद के बीच कशमकश की कहानी बहुत पुरानी और सदियों के इतिहास पर आधारित है और इस सिलसिले की किताबें व लेख इस्लामिक लाईब्रेरी में सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। हमारे देश भारत में विशेषकर इसके उत्तरी भाग में इस्लाम जिन लोगों के ज़रिये से पहुँचा वो एक ख़ास तक़्लीदी (अन्धभक्ति) मज़हब (हनफ़ी) के मानने वाले थे, इसलिये यहाँ के वातावरण में विशेष रूप से तक़्लीद की रूह रची व बसी है और यहाँ के लोग व्यावहारिक रूप से हदीस व सुन्नत की दुनिया से दूर रहे।

हदीस व सुन्नत और हदीस पर अ़मल से दूरी और बेताल्लुक़ी का ही नतीजा था कि जब आज से डेढ़–दो सौ साल पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और उनके नामवर बेटों और शागिर्दों की कोशिशों से यहाँ हदीस पर अ़मल का जज़्बा पैदा होना शुरू हुआ तो विरोध और दुश्मनी का तूफान खड़ा हो गया। तक़्लीदी मस्लक के ख़िलाफ़ हदीस पर अ़मल करने वालों, के ख़िलाफ़ गलत आरोप और झूठे मसाएल गढ़कर उनको बदनाम किया गया और उनके

ख़िलाफ़ फ़त्वे देकर और अंग्रेजों के यहाँ उनकी जासूसी करके उनका जीना दूभर कर दिया गया। विरोध और दुश्मनी की दास्तान बड़ी लम्बी भी है और दिल को दहला देने वाली भी, कि **''न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे।''**

आज़ादी के बाद वर्षों की ग़फ़लत के बाद इधर कुछ वर्षों से हदीस पर अ़मल की तहरीक व कोशिशों ने नई अंगड़ाई ली है और नवजवान ओ़लमा व दुआ़त (दीन को फैलाने वाले) की कोशिशों और पढ़ने–पढ़ाने व तहक़ीक़ करने के शौक के आ़म होने की वजह से लोग बड़ी तादाद में हदीस पर अ़मल की राह अपना रहे हैं। इस सूरत–ए–हाल ने तक़्लीदी हलकों (क्षेत्र) में बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है और विरोध व दुश्मनी एवं झूठे आरोप तराशने का वो प्राचीन सिलसिला फिर तेजी से शुरू हो गया है।

जनाब ख़ुर्शीद 'मुहम्मदी' साहब उन खुशनसीब लोगों में से एक हैं जिन्हें उनके तहक़ीक़ी ज़ौक़ व सलाहियत की वजह से हदीस पर अ़मल करने वाली जमाअ़त में शामिल होने की दौलत नसीब हुई है, चूँकि इससे पहले की उनकी ज़िन्दगी अ़वामी (सार्वजनिक) रही है और अ़वाम से मुख़ातिब होने और उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने का सलीक़ा हासिल रहा है साथ ही नये अहलेहदीस होने की वजह से उनके अन्दर नवमुस्लिमों जैसा जोश–ओ–जज़्बा पाया जाता है इसलिये मस्लक–ए–हक़ की तब्लीग़–ओ–दाअ़्वत में अपने अन्दाज़ में बड़े सरगर्म हैं और इस सिलसिले में मुख़्तलिफ़ तदबीरों व तरीक़ों (जलसों, आ़म मुलाक़ातों, पम्फलेट,

इश्तिहार, कैसेट्स और सी.डी. वगैरह) से खूब काम ले रहे हैं। उनकी कोशिशों से मिर्ज़ापुर (यू0पी0) में बहुत से नवजवानों को (अल्लाह के फ़ज़ल से) मस्लक–ए–हदीस में दाखिल होने की दौलत हासिल हो चुकी है।

उनके इसी जोश–ए–तब्लीग़ ने मुक़ल्लिदों में ख़ासी बेचैनी पैदा कर दी है और वो जमाअ़त अहलेहदीस पर इल्ज़ाम तराशियों और बोहतान बाज़ियों पर उतर आये हैं। इस सिलसिले की तफ़्सील खुद आप इस किताब में खुर्शीद 'मुहम्मदी' साहब की क़लम से मुलाहिज़ा करेंगे। उन्होंने ये किताब मुक़ल्लदीन की हंगामा आराईयों और हदीस पर

अ़मल की दाअ़्वत को आगे बढ़ने से रोकने के लिये जमाअ़त अहलेहदीस पर उनके झूठे आरोपों से **तंग आकर** तरतीब दिया है।

कई बार इज्लास–ए–आ़म में खुर्शीद 'मुहम्मदी' साहब के साथ ख़िताब का मौका भी हासिल हुआ है। कुरआनी आयात और अहादीस के हवालों और दीगर मसाएल से मुताल्लिक़ हमेशा मुझसे उनका राब्ता रहता है। इस किताब के सिलसिले में भी आयात और अहादीस वगैरह के ताल्लुक़ से उन्होंने मुझसे जो मदद ली है मैंने की और यथासंभव उनका मार्गदर्शन भी किया है। इस किताब के अधिकांशतः हिस्सों को उन्होंने पढ़कर मुझे सुनाया भी है। मैंने कुछ जगहों पर सुधार का मश्विरा दिया जिस पर उन्होंने अमल भी किया। ये चन्द बातें उन्हीं के इसरार पर लिख रहा हूँ।

आख़िर में ये कहूँगा कि ये किताब उन लोगों के लिये एक आईना है जो ग़लत मसाएल की बुनियाद पर और झूठे इल्ज़ामात लगाकर जमाअ़त अहलेहदीस को बदनाम करते और ग़ाफ़िल अ़वाम को गुमराह करते हैं। हिन्दी ज़बान में इस सिलसिले की ग़ालिबन ये पहली कोशिश है।

दुआ़ है कि ये कोशिश कामयाब हो और अल्लाह तआ़ला मुरत्तिब व मुझ जैसे दीगर ख़िदमतगार–ए–दीन को अख़्लास–ए–नीयत के साथ दीन की सही दाअ़्वत–ओ–तब्लीग़ पर ग़ामज़न रखे। (आमीन)

मुहम्मद साजिद उसैद 'नदवी'

मधुवापट्टी, मधुबनी, बिहार
13 फरवरी, 2007 ई0, बरोज़ मंगल
मो0– 09494511336

–: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम :–

किताब लिखने का सबब

दीन–ए–हुदा के दो ही उसूल। दो ही चीज़ें वाजिबुल कुबूल।

हुक्म–ए–इलाही व हुक्म–ए–रसूल।। अ़तीउल्लाह व अ़तीउर्रसूल।।

मेरी दीनी भाईयो ! अस्सलामो अ़लैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। इधर तक़रीबन 11–12 सालों से (यानि सन् 1999 ई0 से अब तक) मिर्ज़ापुर शहर में हनफ़ी मुक़ल्लदीन के 2 बड़े गिरोह (देवबन्दी–बरेलवी) के कुछ नाम–निहाद मौलवियों ने कुरआन–ओ–सुन्नत की ताअ़लीमात के तेजी से आ़म होने पर अ़वाम में अपनी झूठी लोकप्रियता और पकड़ को कमजो़र होते देखकर हक़ वाली जमाअ़त, जमाअ़त अहलेहदीस के ख़िलाफ़ गन्दे–गन्दे झूठे व ग़लत मसाएल गढ़–गढ़कर पर्चों और किताबचः की शक्ल में बांटकर और फैलाकर लोगों को गुमराह करना शुरू किया हुआ है। इन नामनिहाद मौलवियों में सर–ए–फे़हरिस्त नाम डॉ0 मुहम्मद तौहीद (देवबन्दी), मौ0 नौशाद आ़लम व हाफ़िज निसार (बरेलवी) वग़ैरह–2 के हैं।

कभी ''वहाबियों का खुदा मिस्टर मोहनदास करमचन्द गाँधी'' तो कभी ''वहाबी का असल चेहरा'' जैसे पर्चे और कभी 20 रकअ़त तरावीह या कभी रफ़ाअ़ यदैन के मौजूअ़ को छेड़ते हुए रिसाले–पर्चे तो कभी ''अहलेहदीस से निकाह की हदीस में मोमानिअ़त'' लिखकर अहले हदीस से निकाह करने को ग़लत बताया लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि जिन हनफ़ी लोगों का निकाह अहलेहदीस के साथ हो चुका है तो वो अब क्या करें। साथ रहें या तलाक ले लें? और उनके बच्चों पर डॉ0 तौहीद साहब क्या हुक्म लगायेंगे वो जायज़ हैं या नाजायज़? इसके अलावा किताबचः ''ग़ैर मुक़ल्लदियत का बानी और तर्क–ए–तक्लीद के मोहलिक नताएज'' वग़ैरह–2 निकालकर लोगों में तक़सीम किये जाते रहे हैं। हालांकि अल्लाह की तौफ़ीक़ से अहलेहदीस की ओर से उनके पर्चों का मुदल्लल जवाब भी ''मुहम्मदी इश्तिहार'' के ज़रिये दिया जाता रहा है। मुक़ल्लदीन के इन पर्चों व किताबचों का मक़सद भोली–भाली और असल दीन से नावाक़िफ़ अ़वाम को सिर्फ़ क़ुरआन–ओ–हदीस के मानने वाली जमाअ़त(अहले हदीस) के क़रीब जाने से रोकना है। सोचा गया कि अब एक किताबी शक्ल (हिन्दीं) में इन मुक़ल्लदीन के उन गन्दे व ग़लत मसाएल को जो कि सरीह क़ुरआन और हदीस के ख़िलाफ़ हैं, लिखकर सनद–ओ–सुबूत के साथ लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि अ़वाम ये जान लें कि खुद इन मुक़ल्लदीन की किताबों में ये गन्दे व ग़लत मसाएल भरे पड़े हैं और उल्टा अहले हदीस को बदनाम कर रहे हैं। **हम मजबूरन और ज़रूरतन भी इन मसाएल को हिन्दी में अ़वाम के बीच पेश कर रहे हैं।**

आइये पहले इन मुक़ल्लदीन के फैलाये गये पर्चों और किताबचः की कुछ झलकियां आपको दिखा दें जिन्हें ये नाम–निहाद मौलवी अहलेहदीस के खिलाफ़ अ़वाम के बीच पेश कर रहे हैं।

ग़ैर मुकल्लदियत का बानी.......... (डॉ0 मु0 तौहीद) के चन्द नमूने–

1. ''हस्तमैथुन करना और पत्थर वगैरह में छेद करके लिंग को डालना वाजिब है जबकि नज़रबाज़ी वग़ैरह का ख़ौफ़ हो।''
(अ़र्फुलजावी)
2. ''ग़ैर मुक़ल्लदीन का मज़हब ये है कि मर्द एक वक्त में जितनी औरत से चाहे निकाह कर सकता है इसकी हद नहीं कि चार ही हों।''
(अ़र्फुलजावी)

3. ''कुत्ते के चमड़े का जाए नमाज़ और डोल बनाना दुरूस्त है।''
(नुज़लुल अबरार)
4. ''मुरदार और सूअर के बाल पाक हैं।'' (नुज़लुल अबरार)
5. ''पर्दे की आयत ख़ास कर अज़वाज–ए–मोतहरात के लिए नाज़िल हुई है, उम्मत की औरतों के वास्ते नहीं।''
(बयान–उल–मरसूस)
6. ''दादी के साथ पोते का निकाह जायज़ है इसकी हुरमत मन्सूस नहीं।'' (पर्चा अहलेहदीस नं0 45/46)
7. अगर कोई शख़्स आदमी के पख़ाने के मुक़ाम में सम्भोग करे तो गुस्ल वाजिब नहीं।''(हदयतुल महदी)

पर्चा ''वहाबी का असल चेहरा'' मिनजानिब जमीअ़त अहले सुन्नत वल जमाअ़त (मस्लक–ए–आ़ला हज़रत) मिर्ज़ापुर, मिलने का पता– मस्जिद पुरी कटरा और मस्जिद इमरती रोड, मिर्ज़ापुर.......... के कुछ नमूने

मर्द–ओ–औरत दोनों की मनी पाक है और जब कि मनी पाक है तो आया इसका खाना भी जायज़ है या नहीं? इसमें 2 कौ़ल हैं(जिससे वाज़ेह है कि बाज़ वहाबी मनी खाना जायज़ समझते है)।

(फ़िक़्ह मुहम्मदिया कलां, जिल्द–1, पेज–41)

क्यूं जी वहाबियो! यही तकलीफ़ है न आ़ला हज़रत से कि उन्होंने तुम्हारी प्यारी गि़ज़ा को जायज़–[illegible]ाल नहीं लिखा। वैसे यार वहाबियो! जब चिकनी–चिकनी मनी मुँह में लेते होगे तो सटा–सट हलक में उतरती होगी वैसे सिर्फ़ मनी ही मुँह में लेते हो या उसके नल को भी मुँह में लेकर चूसते हो, नल चूसने में तो और मजा़ आता होगा।

पाठकगण! देखा आपने, ये ज़बान और ये मज़मून– अहले सुन्नत वल जमाअ़त (मस्लक–ए–आ़ला हज़रत) के और देवबन्दी जमाअ़त के मौलवी हज़रात की, दरअसल बर्तन में जो रहता है वही छलकता है। इनकी सोच व ज़हनियत का अन्दाजा़ इनकी तहरीरों से ही लगाया जा सकता है। अब डॉ0 तौहीद, मौ0 नौशाद, हाफ़िज़ निसार साहेबान से ये कहना है कि आपने अपने पर्चों–किताबचों में जो भी हवाले देकर गन्दे–गन्दे और ग़लत मसाएल अहलेहदीस की तरफ मंसूब करके लिखे हैं उसे अगर आप वाक़ई अपने कौ़ल में सच्चे हों तो अहलेहदीस आ़लिमों की लिखी हुई किताबों में दिखला दो तो

देखो हम तुम्हारे साथ मिलकर उन किताबों की मुख़ालिफ़त करते हैं या नहीं और उन्हें चौराहों पर रखकर हम आग लगाने को भी तैयार हैं। **<u>रह जाए तो बस अल्लाह का कुरआन व मदीने वाले मुस्तफ़ा (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का फ़रमान</u>**। आओ अब आप लोगों का असल चेहरा आपकी हनफ़ी मस्लक की फ़िक़्ह की क़िताबों से हम दिखलाते हैं अगर आप में भी हिम्मत हो तो आगे बढ़कर इन किताबों को आग लगाईये और इनकी मुख़ालिफ़त में भी आगे आईये। हमने इस किताब में जो भी हवाले लिखे हैं वो सब हमारे पास मौजूद हैं।

मुक़ल्लदीन–ए–देवबन्द की ओर से ''12 मसाएल–20 लाख रू0 ईनाम'' के नाम से एक किताब भी अहलेहदीस के ख़िलाफ़ लिखी गयी, जिसका जवाब बैंगलोर में अख़बार में ऐलान देकर देवबन्दी ओ़लमा, मुफ़्ती व अ़वाम के बीच खुलेआ़म अहलेहदीस आ़लिम शेख़ जलालुद्दीन क़ासिमी ने स्टेज पर हवाले (किताबें वगैरह) रखकर दिया।

अहलेहदीसों को अपनी तक़रीरों में गालियों से भी इन देवबन्दियों ने नवाजा और **<u>अंग्रेज की औलाद</u>** तक कहा, इसका भी मुदल्लल जवाब अ़वामी तौर पर शेख़ जलालुद्दीन क़ासिमी ने दिया (इन दोनों जवाबों की टब्क्शे हमारे पास दस्तयाब हैं, पाठकगण तलब कर सकते हैं) लेकिन फिर भी ये मुक़ल्लदीन अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अल्लाह इन्हें नेक हिदायत दे। (आमीन) भला कुरआन व हदीस की दलीलें जिनके पास हों ऐसी हक़ वाली जमाअ़त (अहलेहदीस) के सामने कभी भी दुनिया की कोई भी जमाअ़त ठहर सकी है? या ठहर सकता है? हर्गिज़ नहीं। न जाने कितनी बार मनाज़रे भी हो चुके हैं लेकिन इन मुक़ल्लदीन का क्या हश्र हुआ? अगर तफ़सील से जानना चाहते हैं तो पढ़िये उर्दू में दस्तयाब **''तज़केरतुल मनाज़ेरीन''** मुकम्मल दो हिस्से।

इसके पहले भी हमारे अहलेहदीस ओ़लमा ने मुक़ल्लदीन के फ़िक़्ह की हक़ीक़त व उसके गन्दे व ग़लत मसाएल पर बहुत सी किताबें लिखी हैं, पर वो उर्दू या दीगर भाषा में होने के कारण हिन्दी जानने वालों तक नहीं पहुँच सकीं इसलिये अब इस छोटी किताब की शक्ल में नमूने के तौर पर ये चन्द हवाले पेश किये जा रहे हैं। तफ़सील से जानने के लिए आप लोग खुद इन मुक़ल्लदीन के फ़िक़्ह की क़िताबों को पढ़ें।

इसके पहले मुहम्मद जूनागढ़ी (रह0) ने शम–ए–मुहम्मदी, हिदायत–ए–मुहम्मदी व और भी कई मुहम्मदियात लिखकर कुरआन–ओ–हदीस के ख़िलाफ़ लिखे गये इन गन्दे व ग़लत फ़िक़्ही मसाएल की अच्छी तरह से ख़बर ली है और उन मसअ़लों के ख़िलाफ़ हदीसें भी पेश की हैं। उनके वक़्त के अहनाफ़ ने कलकत्ता के कोर्ट में उन पर मुक़दमा भी दायर कर दिया था, जिस पर मुहम्मद जूनागढ़ी (रह0) ने कोर्ट में सुबूत भी पेश कर दिये थे और इन बेचारे मुक़ल्लदीन को मुँह की खानी पड़ी थी।

जिसपर उन लोगों ने मुहम्मद जूनागढ़ी (रह0) पर 'बोतल बम' से हमला भी किया था पर अल्लाह के फ़ज़ल से वो बाल–बाल बच गये थे।

(मुहम्मद जूनागढ़ी हयात–ओ–ख़िदमात, पेज – 62,63)

मौ0 मुहम्मद यूसुफ़ 'जयपुरी (रह0) ने ''हक़ीक़तुल फ़िक़्ह'' भी उर्दू में लिखी है जिसमें फ़िक़्ह की हक़ीक़त को खोलकर रख दी है। इनके अलावा मुहम्मद रईस 'नदवी' साहब ने अल–लम्हात, ज़मीर का बोहरान, रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का सही तरीक़–ए–नमाज़ वग़ैरह–2 के अ़लावा भी कई किताबें लिखीं और अभी हाल ही में इन मुक़ल्लदीन की तरफ़ से नाम निहाद ''तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत कॉन्फ्रेंस'' के नाम से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और जिसमें ''तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत'' की आड़ में क़ुरआन–ओ–सुन्नत की धज्जियां उड़ाते हुए हक़ वाली जमाअत (अहलेहदीस) के ख़िलाफ़ 31 किताबें तक़्सीम की गयीं जिनमें तक़्लीद, रफ़ाअ् यदैन, सूरः फ़ातिहा वग़ैरह–2 कई मसाएल पर लोगों को गुमराह करने की नापाक कोशिशें की गयी हैं। इन सभी किताबों का मुदल्लल जवाब एक बार फिर जनाब मुहम्मद रईस 'नदवी' साहब ने ''सलफ़ी तहक़ीक़ी जायज़ा'' में दिया है, जिसे दिल्ली मटिया महल के दारूल कुतुबुल इस्लामिया वगैरह ने प्रकाशित किया है और उसका भी आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और इन्शाअल्लाह न तो दे ही सकेंगे।

इन मुक़ल्लदीन की 'तलबीसात' को फ़ज़ीलतुश्शेख़ सय्यद मेअ़राज रब्बानी (जिन्हें मैं अपना उस्ताद मानता हूँ) ने अपनी तक़रीर **ओ़लमा–ए–देवबन्द की डायरी, फ़ज़ाएल–ए–आ़माल का पोस्टमॉर्टम, क़ादियानी ही काफ़िर क्यों?, क्या तक़्लीद लाज़िम है?, 5 मज़ाहिब, हक़ीक़त–ए–देवबन्द, हद हो गयी, तज़किरा औलिया–ए–अहनाफ़, फ़ैज़ान–ए–सुन्नत या बिदअ़त, औलियाउर्रहमान व औलिया उश्शयातीन, इस्लाम और फ़िरक़ापरस्ती, सूफ़ीज्म़ और इस्लाम, बरेलवी तर्जुमा का ख़ुदसाख़्ता ग़ुरूर मलफ़ूज़ात–ए–आ़ला हज़रत** वग़ैरह के अ़लावा और भी कई तक़रीरो में बड़े ही अच्छे ढंग से क़ुरआन–ओ–हदीस के हवाले पेश करते हुए और इनकी किताबों को स्टेज से दिखाते हुए अच्छी तरह से पोस्टमॉर्टम किया है इन तक़रीरों की टब्क्षै और कैसेट्स के लिए हमसे राब्ता करें। (वैसे किताब के आख़िर में ब्क्षे की फ़ेहरिस्त भी गई है)

ये चन्द वुजूहात (कारण) तो इस किताब को लिखने के बने ही, हमारे अमीर जमाअ़त (अहलेहदीस) मिर्ज़ापुर जनाब सिद्दीक़ अहमद सिद्दीक़ी साहब का भी बहुत दिनों से ये इसरार था कि मैं आ़म मुसलमानों तक (जो उर्दू से अनभिज्ञ हैं) हिन्दी में फ़िक़्ह के गन्दे व ग़लत मसाएल को लिखकर पेश करूँ ताकि लोग इसको छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ क़ुरआन–ओ–हदीस की तरफ़ ही झुकें और दीन–ओ–मज़हब के नाम पर चलने वाले इन खोटे सिक्कों की असलियत भी जान सकें।

आज मदर्सों से इन्हीं फ़िक़्ह की क़िताबों के ज़रिये फ़त्वे भी दिये जाते हैं और क़ुरआन–ओ–हदीस की सही ताअ़्लीमात को छोड़ दिये जाते हैं तो हम चाहते हैं कि अब अ़वाम भी जागरूक बने और अन्धी तक़्लीद छोड़कर सिर्फ़ व सिर्फ़ क़ुरआन व हदीस से ही मसाएल का हल ढूढ़ें। सारे मसाएल का हल क़ुरआन व हदीस में मौजूद है अगर कोई आपसे कहे कि सारे मसाएल का हल क़ुरआन–ओ–हदीस में नहीं है तो वो झूठा है या उसे इल्म नहीं है। **दलील**?

लीजिये :– "और हर–हर चीज़ को हमने खूब तफ़सील से बयान फ़रमा दिया है"। (बनी इसराईल, आयत – 12)

"जो कुछ उनकी जानिब नाज़िल किया गया है उसको आप खोल–खोल कर बयान कर दें।"

(नहल, आयत–44)

पता चला कि अल्लाह तआ़ला ने हर–हर चीज़ को तफ़्सील से बयान फ़रमा दिया है और उन सारे मसाएल को, सारी बातों को खोल–2 कर लोगों को बता देने समझा देने का हुक्म भी अल्लाह ने नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को दे दिया है फिर अल्लाह ने ये भी कह दिया है कि–

"रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे रूक जाओ"। (हश्र, आयत–7)

तो अब मत समझियेगा कि सारे मसाएल का हल क़ुरआन व हदीस में नहीं है और ये भी जान लें कि रसूल का हुक्म (हदीस) भी मानने का हुक्म अल्लाह ने ही दिया है। लिहाज़ा दीन में **क़ुरआन व हदीस दोनों ही हुज्जत हैं।** हदीस, क़ुरआन की तफ़्सीर है। अल्लाह व रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के कलाम में सारे मसाएल का हल है। अगर नहीं– तो फिर कहाँ मिलेंगे? इन गन्दे मसाएल से भरे फ़िक़्ह की किताबों में? यही सब बातें इस किताब को लिखने के सबब बने अल्लाह तआ़ला हम सभी मुसलमानों को फ़िक़्ह की क़िताबों के इन गन्दे व ग़लत ताअ़्लीमात से बचाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ क़ुरआन–ओ–हदीस को मानने वाला, पढ़ने वाला, अ़मल करने वाला मोमिन बनने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये। (आमीन)

अब– आईये किताब शुरू करने से पहले क़ुरआन की इन 3 आयतों को ग़ौर–ओ–फ़िक्र के साथ देख लें।

1. **"बहुत से आ़लिम व दरवेश लोगों का माल नाजायज़ तरीक़े से खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं।" (तौबा – 34)**
2. **"उन्होने अपने आ़लिमों और मशाएख़ को अपना रब बना लिया।"**
   (तौबा – 31)
3. **"ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और सीधी–सीधी (सच्ची) बात कहो।"**
   (अहज़ाब–70)

अब, सबसे पहले हनफ़ी फ़िक़्ह का संक्षिप्त परिचय पेश कर रहा हूँ।

हनफ़ी – फ़िक़्ह

नोमान बिन साबित यानि हनीफ़ा के अब्बा, अबू हनीफ़ा (रह0) का इन्तक़ाल सन् 150 हिजरी में हुआ। उनके इन्तक़ाल के 278 सालों के बाद हनफ़ी मस्लक की फ़िक़्ह लिखी जानी शुरू हुईं जो निम्न0 हैं।

1. **क़ुदूरीः—अहमद बिन मुहम्मद बिन अहमद बग़दादी (428 हिजरी)**
2. **हिदाया :—बुरहानुद्दीन अ़ली बिन अबी बक्र (593 हिजरी)**
3. **मुन्यतुलमुसल्ली :—बदरूद्दीन काशग़री (600 हिजरी)**
4. **कन्ज़ुल दक़ाएक़ :—अ़ब्दुल्लाह बिन अहमद (710 हिजरी)**
5. **शरह वक़ाय :— अ़ब्दुल्लाह बिन मसउ़ूदुल महबूबी (745 हिजरी)**
6. **दुर्रे मुख़्तार :— मुहम्मद अ़लाउद्दीन शेख़ अ़ली (1071 हिजरी)**
7. **फ़तावा आ़लमगीरीः—ब हुक्म औरंगज़ेब आ़लमगीर(1118 हिजरी)**

वगैरह — वगैरह। (क्या ओ़लमा—ए—देवबन्द अहले सुन्नत वल जमाअ़त हैं?)

अब सोचने की बात है कि ये किताबें हबू हनीफ़ा (रह0) के इन्तकाल के इतने सालों बाद लिखी गयीं और ये भी कि इनमें लिखे गये किसी भी मसअ़ले की सनद हबू हनीफ़ा (रह0) तक नहीं पहुँची तो इन मसाएल को हबू हनीफ़ा (रह0) का मज़हब कैसे क़रार दिया जा सकता है?

नोट :— यहां एक बात और भी ख़्याल रहे कि आज पूरी दुनिया में अबू हनीफ़ा (रह0) की ख़ुद की लिखी कोई भी किताब मौजूद

नहीं है बल्कि सारी किताबें उनकी तरफ़ मंसूब की गयी हैं यानि उन्होंने कोई भी किताब नहीं लिखी है।

अब हम उ़ूपर दिये गये ख़ुदसाख़्ता (बनावटी) हनफ़ी — फ़िक़्ह की क़िताबों के, क़ुरआन व हदीस और अ़क़्ल के भी ख़िलाफ़ गन्दे व ग़लत मसाएल अ़वाम की अ़दालत में पेश करने जा रहे हैं जिन्हें मुक़ल्लदीन के अनुसार मानना वाजिब है। (नउ़ूज़बिल्लाह)

हनफ़ी फ़िक़्ह के गन्दे व ग़लत मसाएल

1. ''अगर बक़द्र तशह्हुद बैठने के बाद हदस (हवा ख़ारिज) ला हक़ हो तो वुज़ू करके आकर सलाम फेर दे .... और अगर तशह्हुद के बाद क़सदन (जानबूझकर) हदस—कलाम (बातचीत) या मनाफ़ी नमाज़ कोई और काम किया हो तो नमाज़ पूरी हो गयी''। (क़ुदूरी, भाग—1, पेज—145)

नोट :— पाठकगण! कुछ समझा आपने? यानि नमाज़ी तशह्हुद में हो और अगर उसकी हवा ख़ारिज हो गयी तो दुबारा वुज़ू बनाकर आवे और सलाम फेरे और अगर उसने जानबूझकर तशह्हुद में पाद मारा (हदस) या बात—चीत करने लगा या नमाज़ को तोड़ने वाला कोई भी काम कर दिया तो उसकी नमाज़ पूरी हो गयी।

वाह भाई वाह, ये है हनफ़ी नमाज़ तो डॉ0 तौहीद साहब मौ0 नौशाद, हाफ़िज़ निसार साहबान क्या आप लोग भी नमाज़ में (तशह्हुद मे) पाद कर नमाज़ ख़त्म कर देते हैं? यानि पाद, पाद

न हुआ सलाम फेरने के क़ाएम मुक़ाम हो गया। वाह रे तुम्हारी फ़िक़्ही नमाज़! (ला हौल वला कुव्वत)

आइये अब ज़रा 'हिदाया' की अनमोल शिक्षाओं पर भी नज़र डालते चलें। इस किताब के मुक़दमे में ही लिखा है कि "हिदाया ने **<u>क़ुरआन करीम की तरह</u>** साबिक़ः फ़िक़्ही किताबों को मंसूख़ कर दिया है"।

(हिदाया, भाग –1, पेज –9)

2. "अगर जानवर के साथ एदरवाल (दाख़िल करने) का मामला किया या शर्मगाह के अ़लावा रान वग़ैरह में ये हरकत की तो बग़ैर इन्ज़ाल (मनी गिरे) के महज़ एदरवाल (दाखिल करने) की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होगा"। (हिदाया, भाग –1, पेज – 135)

नोटः– नऊ़ज़बिल्लाह। जानवर के साथ सम्भोग और उस पर गुस्ल भी वाजिब नहीं जब तक कि मनी न गिरे। भला कोई मोमिन ये सब काम करेगा? और शख़्स ये सब करेगा उसे गुस्ल की क्या हाजत? ये है हिदाया।

3. "कुत्ता नजिसुल ऐन नहीं है"। (हिदाया, भाग–1, पेज – 167)

4. "नबीज़ (खजूरों या अंगूरों से बनी हुई शराब वगैरह) अगर गाढ़ी पड़ गयी तो इमाम हबू हनीफ़ा (रह0) के नज़दीक उससे

वुज़ू करना जायज़ है क्योंकि उनके नज़दीक उसका पीना हलाल है।" (हिदाया, भाग–1, पेज–207)

नोटः– ये हबू हनीफ़ा (रह0) पर खुला बोहतान है। भला वो शराब वग़ैरह को क्यूँ हलाल करने जायें? मुक़ल्लिदो! तुमने उन्हें भी नहीं छोड़ा।

5. "और अगर ऐसा कपड़ा पहना **<u>जिसमें तस्वीरें हों</u>** तो मकरूह है क्योंकि **<u>बुत उठाने वाले</u>** के मुशाबेह है। रही नमाज़, तो इन सब मकरूह सूरतों में जायज़ है।" (हिदाया, भाग–2, पेज–179)

नोटः– कहिये डॉ0 तौहीद, मौ0 नौशाद, हाफ़िज़ निसार साहबान आप लोग इस बारे में अ़वाम से क्या कहना चाहेंगे?

6. "अगर नमाज़ी को तश्शहुद के बाद हदस हो गया हो तो वुज़ू करके सलाम फेरे क्योंकि सलाम फेरना वाजिब है, पस वुज़ू करना ज़रूरी हुआ ताकि सलाम फेरे .... और अगर उसने इस हालत में जानबूझकर हदस (पख़ाना या हवा ख़ारिज) कर दिया या कलाम (बात–चीत) किया या कोई ऐसा अ़मल किया जो नमाज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो उसकी नमाज़ पूरी हो गयी।"

(हिदाया, भाग–2, पेज– 131)

नोटः– वाह रे मुक़ल्लिदो! ये है तुम्हारी नमाज़ें जो कि **......... और ....** के साथ खत्म होती है। री अ़क़्लें कहाँ चली गयीं? अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। (आमीन)

7. ''अगर किसी रोज़ेदार ने किसी अच्छी सी औ़रत को या उसकी शर्मगाह को देखा और ग़रीब की मनी निकल गयी तो उसका रोज़ा फ़ासिद न होगा।''

8. रोज़ादार अपनी हथेली से मनी निकाले तो उसका रोज़ा फ़ासिद न होगा।''

9. '' .... और अगर हस्त मैथुन ;भ्ंदक च्तंबजपबमद्ध से उत्तेजना (सेक्स) को ठंडा करना मुराद है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।''

(ये तीनों हवाले, हिदाया, भाग–3, पेज–242,243)

नोटः–ये तो डॉ0 तौहीद साहब भी रमज़ान में अपने मदर्से की जानिब से निकालने वाले पर्चे में बराबर निकालते रहते हैं। जिसके रद्द में हमारे इस्लामिक रिसर्च सेन्टर की जानिब से पर्चा (मुहम्मदी इश्तिहार में) निकाला जा चुका है और आज तक उसका कोई भी जवाब नहीं आया है और न आ ही सकता है। (इन्शा अल्लाह)

अच्छा तो डॉ0 तौहीद, मौ0 नौशाद, हाफ़िज़ निसार साहबान कभी आप लोगों ने भी रोज़े की हालत में ये काम किये हैं या नहीं? क्या अपने चाहने वालों को बतायेंगे?

अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) तो सेक्स कन्ट्रोल करने के लिए रोज़ा रखने की ताकीद फ़रमायें और आप की ''मिस्ल कुरआन'' फ़िक़्ह (नउज़ह) हिदाया **''हस्तमैथुन''**

करना सिखाये और रोज़ेदार को भी ये सब करने की खुली छूट दे। ये फ़िक़्ह है या ....? (मआ़ज़ अल्लाह)

10. ''इमाम हबू हनीफ़ा (रह0) से रिवायत है कि नागवार जगह (पख़ाने के मुका़म) में जिमाअ़ (सम्भोग) करने से कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं है।''

(हिदाया, भाग–3, पेज–225)

नोटः– वाह रे हनफ़ी मुक़ल्लिदो! तुमने हबू हनीफ़ा (रह0) को भी नहीं बख़्शा। हश्र के दिन अगर वो तुमसे सवाल कर बैठे कि कम्बख़्तो मैंने कब ये बात कही थी? तो क्या जवाब दोगे?

अब, अ़वाम ख़ुद ये बातें पढ़ें और ख़ूब तहकी़क़ कर लें फिर अपने इन मुफ़्त के मुफ़्तियों और मौलवियों से पूछें कि मियां ये सब क्या है? ये बातें कुरआन की किन आयतों या हदीसों से साबित हैं? फिर सोचें कि उन्हें नबी की इताअत करना है या इन फ़िक़्ह की गन्दी ताअ़लीमात को मानना है और अपने मौलवियों की अन्धी तक़्लीद करना है। क्या यही तक़्लीद वाजिब है? इसी पर उम्मत का इज्माअ़ (आ़म सहमति) है? (नऊज़बिल्लाह)

आप देवबन्दी हों या बरेलवी, आप सभी लोगों के लिए ये सोचने का मुका़म है क्योंकि आप अपने आपको हनफ़ी कहते–समझते हैं।

11. ''वो शख़्स कि दावा किया उस पर एक औ़रत ने कि उसने मुझसे निकाह किया और गवाह का़एम कर दिये, पस का़ज़ी ने

उस औरत को उसकी बीवी कर दिया। हालांकि उस मर्द ने उस औरत से निकाह नहीं किया था तो उस औ़रत के लिये गुंजाइश है कि उस मर्द के साथ क़याम करे और वो औ़रत उस मर्द को छोड़ दे कि उससे जिमाअ़ (सम्भोग) करे और **ये अबू हनीफ़ा के नज़दीक है।** (हिदाया, भाग–4, पेज–48)

नोटः– कुछ समझा आपने? यानि किसी औ़रत ने किसी आदमी को झूठ बोल कर कि ये मेरा शौहर है और उस पर झूठे गवाह भी पेश कर दिये तो क़ाज़ी ने उसे उसकी बीवी बना दिया और अब वो औ़रत उस शख़्स से सम्भोग कर सकती है। ये फ़रमान हबू हनीफ़ा (रह0) का है।

अब मैं ज्य़ादा कुछ नहीं कहूंगा आप लोग खुद ही सोचें कि क्या हबू हनीफ़ा (रह0) जैसी शख़्सियत ऐसा कह सकते हैं? **और अगर उन्होंने ऐसा कहा भी हो तो अब आपको हनफ़ी बनना है या मुहम्मदी?**

12. ''अगर निकाह किया किसी मुसलमान ने शराब या सूअर पर तो निकाह जायज़ है और औ़रत के लिए उसका महर मिस्ल होगा।''

(हिदाया, भाग–4, पेज–137)

नोटः– कौन मुसलमान भला शराब या सूअर के महर पर निकाह करता है। हां मौलवी नौशाद, हाफ़िज़ निसार या डॉ0 तौहीद ने अगर ऐसा किया हो तो अल्लाह बेहतर जाने

13. ''मुद्दत–ए–रज़ाअ़त अबू हनीफ़ा के नज़दीक 30 माह है।''

(हिदाया, भाग–4, पेज 241)

नोटः– जबकि कुरआन मजीद में रज़ाअ़त (बच्चे को दूध पिलाने) की मुद्दत 2 साल साफ़–2 मौजूद है।

कुरआन :– ''माँयें पूरे दो वर्ष अपने बच्चों को दूध पिलायें।''

(सूरः बक़रः, आयत – 233)

14. ''मुबाशरत (सम्भोग) ख़्वाह दो औरतों के बीच हो या दो बालिग़ मर्द के बीच हो नाक़िज–ए–वुजू (वुजू तोड़ने वाली) है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक। इमाम मुहम्मद के नज़दीक **तोड़ने वाली नहीं है।**''

(शरह वक़ायः, भाग–1, पेज 42)

नोटः– ये फ़िक़्ह है या कोकशास्त्र? औ़रतों के बीच आपस में ताल्लुक़ात व मर्दों के बीच आपस में सम्भोग की ताअ़लीम दी जा रही है और इन सब कामों में वुजू भी नहीं टूट रहा है।

15. ''अगर कोई किसी जानवर की शर्मगाह में दुख़ूल (सम्भोग) करे और जब तक कि मनी न गिरे ग़ुस्ल वाजिब न होगा।''

(शरह वक़ायः, भाग–1, पेज–51)

नोटः– जबकि ऐसे गन्दे काम करने वाले शख़्स को और उस जानवर को भी मार डालने का अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हुक्म दिया है। (अहमद, सुनन अरबअ़ः –

बहवाला बुलूगुलमराम, हदीस नं0–1170) लेकिन वाह रे मुक़ल्लिदो! तुमने ऐसे शख़्स को नापाक भी नहीं समझा और गुस्ल वाजिब न होना बताया। अल्लाह तुमसे समझेगा।

16. ''कुत्ते की खाल भी दबाग़त के बाद नजिसुल ऐन न होने की वजह पाक है।'' (शरह वक़ायः, भाग–1, पेज – 61)

नोटः– कहीं कुत्ता नजिसुल ऐ़न नहीं, कहीं उसकी खाल पाक है तो कहीं उस पर नमाज़ हो जायेगी तो कहीं कुत्ते की खाल के डोल में पानी से वुजू हो जायेगा तो कहीं कुत्ते को गोद में लेकर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ हो जायेगी वग़ैरह–वग़ैरह। आखिर आप लोगों को ये **''कुकुर–प्रेम''** इतना अधिक क्यों और कैसे हो गया है? क्या वाक़ई में अल्लाह का खौफ़ बिल्कुल ही नहीं रहा?

17. ''किसी जानवर से सम्भोग करे तो मनी गिरे या न गिरे 'दम' वाजिब न होगा।'' (शरह वक़ायः, भाग–1, पेज–346)

नोटः– कुछ समझे आप? ये हज के अय्याम में हाजियों के लिए मसअ्ला बयान हो रहा है।

18. ''कोई शख़्स, एक बालिग़ औ़रत और एक **दूध पीती लड़की** से निकाह करे और बालिग़ औरत दूध पीती लड़की को दूध पिला दे तो **दोनों औ़रतें** ख़ाविन्द पर हराम होंगी।'' (शरह वक़ायः, भाग–2, पेज–81)

नोटः– वाह रे मुक़ल्लिदो। कैसे अनोखे–अनोखे मसाएल तुम्हारी फ़िक़्ह की क़िताबों में मौजूद हैं।

19. ''संभोग करे औ़रत के साथ इस तरह कि नंगा हो और सेक्स से खड़ा हो और दोनों की शर्मगाहें मिल जायें तो इमाम हबू हनीफ़ा (रह0) और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक बेहतर ये है कि वुजू टूट जायेगा और इमाम मुहम्मद के नज़दीक वुजू नहीं टूटेगा।''

(फ़तावा आलमगीरी, भाग–1, पेज–18)

नोटः– अब बोलो मुक़ल्लिदो! इमाम अबू हनीफ़ा और अबू यूसुफ़ पसन्द कर रहे हैं कि वुजू टूट जायेगा और एक शागिर्द इमाम मुहम्मद कह रहे हैं कि वुजू नहीं टूटेगा। अपने इमाम और उस्ताद की बात के ख़िलाफ फ़त्वा दे रहे हैं, अब तुम किसकी मानोगे? उस्ताद की या शागिर्द की? अगर उस्ताद की, तो तुम्हारे इमाम मुहम्मद तो अबू हनीफ़ा की तक़्लीद नहीं कर रहे हैं तो क्या ग़ैर मुक़ल्लिद कहोगे? ये तीनों ही तुम्हारे इमाम हैं और मसअ्ला भी तुम्हारी ही फ़िक़्ह का है।

20. ''अपने लिंग को छुए या दूसरे के लिंग को छुए तो हमारे नज़दीक वुजू नहीं टूटता।'' (फ़तावा आलमगीरी, भाग–1, पेज–18)

नोटः– डॉ0 तौहीद साहब और मौलवी साहबो! क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? भला कोई किसी दूसरे का लिंग क्यों छुए? हां डॉ0 तौहीद साहब कह सकते हैं कि मरीज़ का लिंग तो छू सकते हैं तो मैं कहूंगा कि हाथों पर दस्ताने नहीं चढ़ायेंगे क्या?

21. ''अगर चौपाए जानवर के साथ संभोग करे या मुर्दे या ऐसी छोटी लड़की के, जिसके बराबर की लड़कियों के साथ संभोग नहीं किया करते तो बिना मनी के गिरे (इन्ज़ाल) गुस्ल वाजिब नहीं होगा।''

(फ़तावा आलमगीरी, भाग–1, पेज–22)

नोटः– कौन कमबख़्त मुसलमान ऐसा होगा जो कि जानवरों से या मुर्दों से संभोग करेगा? और जो ये सब काम करे उसे आप गुस्ल का मसअ़ला बता रहे हैं वो गुस्ल करके भी क्या करेगा? अगर कहें कि नमाज़ें पढ़ेगा तो ''नमाज़ तो बेहयायी और बुरी बातों से रोक देती है।'' (सूरः अ़नकुबूत–45)
लेकिन हाँ चूंकि तुम्हारी फ़िक़्ही नमाज़ें होती हैं इसलिए सब कुछ हो सकता है।

22. ''यदि किसी औरत की शर्मगाह से बाहर–बाहर संभोग की जावे और 'मनी' उसके गर्भ में पहुँच जावे चाहे वो कुंवारी हो या कुंवारी न हो तो गुस्ल उस पर वाजिब न होगा।'' (फ़तावा आलमगीरी, भाग–1, पेज–2

नोटः– वाह रे मुक़ल्लिदो! और वाह रे तुम्हारी फ़िक़्हः। क्यों डॉ0 तौहीद साहब शर्मगाह के बाहर संभोग करने से भी गर्भ में मनी पहुँच जाती है क्या? ख़ैर .... जब आपके यहां शौहर मुद्दतों से परदेस में हो और बीवी को लड़का पैदा हो तो शौहर का ही होता है (बहिश्ती ज़ेवर) तो ये फिर कौन बहुत बड़ी बात है, क्यों डॉ0 साहब?

23. ''अगर 10 बरस का लड़का औरत से संभोग करे तो औ़रत पर गुस्ल वाजिब होगा और लड़के पर वाजिब न होगा।''

(फ़तावा आलमगीरी, भाग–1, पेज–22)

नोटः– ये है हनफ़ी फ़िक़्ह। लोगों को ज़ेहन दिया जा रहा है कि 10 बरस के लड़के से भी ऐसा काम कर सकती हैं। अब ये मत कहना कि– अगर ऐसा हो जाये तब? ये मसअ्ले इसीलिए एडवांस में बता दिये जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि हनफ़ी मौलवियो! ये मसअ्ले सिर्फ़ तुम्हें ही क्यों सूझे ये मसअ्ले अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को क्यों नहीं सूझा जिनके उŸपर शरीअ़त मुकम्मल कर दी गयी है? इसलिये कि तुम हराम हलाल खा–खाकर इतने वहशी और जानवर हो गये हो कि तुम लोग जानवरों के साथ, बच्चियों के साथ, मुर्दों के साथ, मर्दों के साथ ये सब गन्दे काम करते होगे एक आ़म हनफ़ी या आ़म मुक़ल्लिद शख़्स तो ऐसा सोचना भी गुनाह समझता होगा। अगर तुम ये गन्दे मसाएल जो अपनी गन्दी फ़िक़्ह में फैला रहे हो अगर इसे स्टेजों से तक़रीर के ज़रिये फैलाओ तो ये अ़वाम इन्शाअल्लाह तुमसे खुद ही समझ ले

न बेचारों को क्या मालूम है कि तुम बड़े–बड़े मदर्सों में बैठकर क्या–क्या गुल खिलाते हैं और तुम कुरआन–हदीस का लेबल लगाकर इन्हीं गन्दी फ़िक़्ह की किताबों

से इन बेचारों को फ़त्वे देकर उन्हें गुमराह करते रहते हो। जिस दिन ये सब बातें उन्हें समझ में आ गयीं, उस दिन तुम्हारी ख़ैर नहीं होगी। (इन्शाअल्लाह)

24. "अगर मर्द बालिग़ हो और लड़की नाबालिग़ हो मगर संभोग के क़ाबिल हो तो मर्द पर गुस्ल वाजिब होगा और उस लड़की पर वाजिब न होगा।" (फ़तावा आलमगीरी, भाग–1, पेज–22)

नोटः– फिर वही बकवास! अब कहां–कहां तक मैं नोट लगाउँ? आप लोग खुद ही समझ लें।

25. "अगर खुन्शा मुशक्कल अपने लिंग को किसी औरत के शर्मगाह या दुब्र (पाख़ाने का मुक़ाम) में डाले तो दोनों पर गुस्ल वाजिब न होगा .... और अगर कोई मर्द खुन्शा मुशक्कल की फ़ुर्ज में दाख़िल करे तो भी गुस्ल वाजिब न होगा और ये हुक्म इस सूरत में है जो इन्ज़ाल न हो।"

(फ़तावा आलमगीरी, भाग–1, पेज–22)

नोटः– पाठको! आप लोग देख रहे हैं न, औरत के आगे–पीछे कहीं भी लिंग डाले या हिंजड़ों के साथ संभोग करे पर कहीं भी गुस्ल वाजिब नहीं हो रहा है। पता नहीं इन मुक़ल्लिद मौलवियों का गुस्ल कब वाजिब होता है? अल्लाह बचाये इन गन्दे कामों से ऐसे गुस्लों से। (आमीन)

26. "अगर किसी जानवर की **शर्मगाह को सहलाया** और मनी गिर गयी तो रोज़ा फ़ासिद न होगा .... और अगर **जानवर या मुर्दा से संभोग** किया या शर्मगाह के बाहर संभोग किया और मनी नहीं गिरी तो रोज़ा फ़ासिद न होगा और अगर इन सब सूरतों में इन्ज़ाल हो गया तो क़ज़ा लाज़िम होगी, **कफ़्फ़ारः लाज़िम न होगा।** .... रोज़ादार अगर अपने **लिंग को हिलावे** और मनी गिर जावे तो क़ज़ा लाज़िम होगी .... अगर अपने लिंग को अपनी **औरत के हाथ से हिलवाये** और मनी गिर जावे तो रोज़ा फ़ासिद होगा। ....

अगर दो औरतें आपस में मुसाहक़ा (शर्मगाह से शर्मगाह मिलायें) करें यानि आपस में मशग़ूल हों और उन दोनों की मनी गिर जावे तो उन दोनों का रोज़ा टूट जावेगा वरना नहीं टूटेगा .... और मनी गिरने की सूरत में कफ़्फ़ारा न आवेगा।" (फ़तावा आलमगीरी, भाग–2, पेज–19, 20)

नोटः– अभी तक तो आपने वुज़ू और गुस्ल न टूटने के मसाएल देखें अब रोज़े के मुताल्लिक़ भी देख लीजिये कि जानवर की शर्मगाह, रोज़ेदार सहलावे या जानवर व मुर्दा से संभोग करे पर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा और हस्तमैथुन करे या बीवी से करावे या औरतें आपस में व्यभिचार में लिप्त रहें (रोज़े की हालत में) तो उनके रोज़े नहीं टूटेंगे और अगर टूट भी गये तो सिर्फ क़ज़ा लाज़िम आयेगी कफ़्फ़ारा नहीं। अरे मौलवियो! ये सब हरकतें, वो

भी रोज़ा की हालत में कौन कमबख़्त करेगा हां– तुम लोगों की बातें अलग हैं। अब समझ में आया कि हिन्दुस्तान–पाकिस्तान वग़ैरह में हनफ़ी ही ज़्यादा क्यों हैं? शायद इसीलिये कि जब ये सारे गन्दे–शैतानी काम करने से वुज़ू नहीं टूटता–गुस्ल नहीं टूटता, रोज़ा नहीं टूटता, हज नहीं ख़राब होता है तो फिर अब इतनी सहूलियत इसके अ़लावा कहाँ मिलेगी?

आईये आख़िर में एक ऐसी फ़िक़्ह को दिखाउ्ँ जिसका सीखना बाक़ी कुरआन के सीखने से अफ़ज़ल है। (नऊज़बिल्लाह)

27. "**फ़िक़्ह का सीखना बाक़ी कुरआन के सीखने से अफ़ज़ल है** और फ़िक़्ह तमाम का तमाम ज़रूरी है, जिससे कोई चाराकार नहीं।"

और

"इसी तरह ये मसअ्ला कि फ़िक़्ह का ज़रूरत से ज़्यादा सीखना ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुँचाये और मसाएल बताये **बाक़ी कुरआन पाक के सीखने से अफ़ज़ल** है क्योंकि ये **फ़िक़्ह की ताअ़लीम फ़र्ज़ कफ़ाय:** है और ज़रूरत से ज़्यादा **कुरआन की ताअ़लीम सुन्नत**।"

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–1, पेज–19)

नोटः– उपरोक्त बातों को बग़ौर फिर से पढ़ लें और इसी किताब के हवालों से आगे आने वाले मसाएल को देखिये और विचारिये

कि ये **बाक़ी कुरआन से अफ़ज़ल फ़िक़्ह की ताअ़लीमात हैं।** (नऊज़बिल्लाह)

28. " .... इस दरख़्वास्त के बाद बैतुल्लाह के एक गोशे से आवाज़ आई, ऐ अबू हनीफ़ा! तूने मुझे वैसा ही जाना, जैसा कि जानने का हक़ है और बेशक तूने हमारी ख़िदमत की और बहुत बेहतर की और यक़ीनन हमने **तुझे बख़्श दिया और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की**, उन लोगों में से जो ता क़यामत **तेरे मज़हब पर** होंगे।"

(दुर्रे मुख़्तार, भाग–1, पेज–29)

नोटः– कुरआन में है– "और अगर तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की इताअ़त करोगे तो तुम्हारे आ़माल के बदले और सवाब में अल्लाह कोई कमी नहीं करेगा (इताअ़त करने वालों के लिये) अल्लाह यक़ीनन बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।" (हुजुरात, आयत–14)

अल्लाह तआ़ला तो अपनी रहमत और बख़्शिश के लिये अपनी और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की इताअ़त करने का हुक्म दे रहा है और ऐसा करने पर बख़्श देने की बात कह रहा है पर यहां तो **अबू हनीफ़ा की पैरवी** पर बख़्शने की बात कही जा रही है अब पाठकगण ख़ुद ही फ़ैसला करें कि कुरआन की मानकर अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की

इताअ़त करेंगे या फ़िक़्ह को मानकर अबू हनीफ़ा की इताअ़त करेंगे (जबकि ये सब बातें अबू हनीफ़ा से साबित ही नहीं)।

29. ''नबी करीम (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से रिवायत है कि हज़रत आदम (अलै0) ने मुझ पर फ़ख़्र का इज़हार फ़रमाया और मैं अपनी उम्मत के एक शख़्स पर फ़ख़्र करता हूँ, जिसका नाम नोमान है और कुनियत अबू हनीफ़ा, वो मेरी उम्मत का चिराग़ है। दूसरी रिवायत आंहज़रत (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से है कि तमाम अंबिया–ए–कराम मेरी ज़ात पर फ़ख़्र करते हैं और मैं अबू हनीफ़ा पर फ़ख़्र करता हूँ, जिसने इनसे मुहब्बत की उसने मुझसे मुहब्बत की और जिसने इनसे दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी।''

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–1, पेज–31)

नोटः– दुनिया के सारे मुक़ल्लिद मिलकर **क़यामत तक** ये हदीसें **साबित नहीं कर सकते** हैं। यानि? यानि कि हनफ़ी मस्लक की अल्लम–ग़ल्लम बातों को हक़ साबित करने के लिये ये झूठी हदीसें भी गढ़ी गयीं। नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का फ़रमान है कि – ''जिसने कोई ऐसी बात मेरी तरफ़ मंसूब की जो मैने नहीं कही तो उसका ठिकाना जहन्नम है।'' (बुख़ारी, दारकुत्नी)

30. ''........ हज़रत ईसा (अलै0) भी आपके मज़हब ही के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायेंगे यानि हज़रत ईसा (अ़लै0) का इज्तिहाद हबू हनीफ़ा (रह0) के इज्तिहाद के मुताबिक़ होगा।'' (नऊज़बिल्लाह),

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–1, पेज–32)

नोटः– बताईये भला कोई नबी किसी मुज्तहिद का मुक़ल्लिद होगा? जबकि नबी मासूम होता है और ग़ैर नबी मासूम नहीं होता। बड़े से बड़े मुज्तहिद से ग़ल्तियां होती हैं पर शरीअ़त में नबी से ग़ल्ती नहीं हो सकती, लेकिन वाह रे हनफ़ी फ़िक़्ह नबी के दर्जे को घटाकर अपने इमाम का मुक़ल्लिद बना दिया। (अऊज़ुबिल्लाह–अल्लाह की पनाह)

31. ''आप, हज़रत अबू वक्र सिद्दीक़ (रज़ि0) के मानिन्द हैं।''

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–1, पेज–34)

नोटः– उýपर आपने देखा कि अपने इमाम की शान में गुलू करते हुए उनका दर्जा नबी से बढ़ा दिया और अब यहां सहाबा के बराबर कर दिया, जबकि हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया – ''तुममें से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना (अल्लाह की राह में) ख़र्च करे तो उनमें (पूर्व के सहाबा) से किसी के एक मुद या निस्फ़ मुद के बराबर नही हो सकता।'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

32. ''लिंग के आगे की सुपारी ग करने लायक़ आदमी के दोनों रास्तों अगले–पिछले में से किसी में दाख़िल करे गुस्ल करने

व करवाने वाले दोनों पर फ़र्ज़ है, बशर्ते कि वो दोनों आ़कि़ल, बालिग़ और मुसलमान हों और अगर उन दोनों में से एक ऐसा हो और दूसरा नाबालिग़ या पागल हो तो सिर्फ़ मुकल्लफ़ (आ़कि़ल, बालिग़, मुसलमान) पर गुस्ल फ़र्ज़ है, ग़ैर मुकल्लफ़ (नाबालिग़, पागल) पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है .....।''

''अगर उसने लिंग का ये हिस्सा अपने, ग़ैर के पिछले हिस्से में दाखिल किया है और अगर कोई अपने पिछले हिस्से में दाख़िल करे तो बिना मनी के गिरे **गुस्ल वाजिब नहीं होगा।**''

''............ इस वजह से कि अगले या पिछले हिस्से में लिंग की सुपारी या उसके बराबर के दाख़िल करने से उस हिंजड़े पर **गुस्ल वाजिब नहीं होता** और न उस शख़्स पर गुस्ल वाजिब होता है जो हिंजड़े से संभोग करे, **जब तक उसकी मनी न गिर जाये**.... .'।'' (दुर्रेमुख़्तार, भाग–1, पेज–136)

नोटः– नऊज़बिल्लाह, ये फ़िक़्ह है या कोकशास्त्र? यही वाहियात फ़िक़्ह सीखना नउÿज़बिल्लाह बाकी़ कुरआन से अफ़ज़ल है? मुक़ल्लिद मौलवियो! अल्लाह से डरो और सुधर जाओ वरना अल्लाह की मार से तुम्हें कोई नहीं बचा पायेगा।

33. ''और इस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है जब कोई चौपाए (जानवर) या मुर्दा या ऐसी बच्ची से संभोग करे जो सेक्स के योग्य नहीं हुई है इस तरह कि उस बच्ची ग़ैर मुश्तहात के साथ संभोग करने से वो मुफ़ज़ात बन जाये यानि उसका वो परदा फट जाये जो अगले और पिछले हिस्से के बीच में आड़ रहता है और उसके दोनों मुक़ाम मिल जायें, इस संभोग में चाहे हश्फ़ा (सुपारी) ग़ायब हो जाये तो भी बिना मनी गिरे **गुस्ल फ़र्ज़ न होगा**, इसलिये कि **लज़्ज़त नाकि़स (अधूरी) होती है** और **न इससे वुज़ू ही टूटेगा।**''

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–1, पेज–141)

नोटः– अस्तग़फ़ेरूल्लाह! अल्लाह की मार हो ऐसे लोगों पर। ऐसी गन्दी बातों को फ़िक़्ह के नाम से मसअ्ला–मसाएल के नाम पर गढ़–गढ़कर मुस्लिम अ़वाम के बीच में फैलाने वाले तो कोई **यहूदी ही हो सकते हैं**। अबू हनीफ़ा (रह0) जैसी शख़्सियत तो दूर, किसी भी जाहिल से जाहिल मुसलमान की सोच इतनी वाहियात तो नहीं हो सकती है कि मुर्दा के साथ जानवर के साथ या छोटी बच्ची के साथ कोई बदकारी करे यहां तक कि उस बच्ची के पेशाब और पख़ाने का मुक़ाम फट कर एक हो जाये और चूंकि 'मनी' नहीं गिरा तो उस शख़्स को **अधूरा मज़ा मिला** इसलिये वो **न तो नापाक हुआ और न ही उसका वुज़ू टूटा।** क्यों मेरे मुक़ल्लिद (देवबन्दी–बरेलवी) भाईयो! आप ही बताईये कि क्या आप ऐसा कर सकते या सोच सकते हैं? या अगर कोई ऐसा करे तो उसको आप ये बतायेंगे कि तुम्हारा वुज़ू भी नहीं टूटा, या कि आपका जी ये चाहेगा कि ऐसे शख़्स को रजम कर दिया जाये। अल्लाह आपको इन जैसे मौलवियों के चंगुल से बचाये। (आमीन)

34. "आदमी के बजाए जानवर के साथ संभोग हो तो गुस्ल फ़र्ज़ न होगा, ज़िन्दा की जगह मुर्दा से हो तो गुस्ल न होगा, सेक्स के लायक़ के बजाए ऐसी सूरत हो जिसमें सेक्स न पायी जाये तो **गुस्ल न होगा** चाहे लिंग के ख़त्ना का हिस्सा छिप ही क्यूँ न जाये जब तक कि इन्ज़ाल न हो (मनी न गिरे) बल्कि ये भी कहा कि **इन सूरतों में वुजू भी नहीं टूटेगा**, बाक़ी इसे धो लेना चाहिये कि उस पर जो गन्दगी हो वो धुल जाये और ये सब इस वजह से कि इन सूरतों में **सेक्स की लज़्ज़त पूरी नहीं पायी जाती...**।" (दुर्रेमुख़्तार, भाग–1, पेज–142)

नोटः– मेरे भोले–भाले नादान व नावाक़िफ़ दीनी भाईयो! क्या इन **इस्लाम दुश्मन मौलवियों** की तरह आपका भी दिमाग़ हो गया है? अब आप लोग कब होश में आयेंगे? कब इन **देह के और सेक्स के पुजारी** मौलवियों से इनका गिरेहबां पकड़कर पूछेंगे कि मौलवी साहब! ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा दीन है? क्या अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से ऐसे मसअ्ले साबित हैं? क्या दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आ़लिम (देवबन्दी हो या बरेलवी) ये साबित कर सकता है कि अबू हनीफ़ा यानि नोमान बिन साबित (रह0) ने कभी अपनी पूरी ज़िन्दगी में ऐसे गन्दे–2 मसाएल लिखे या लिखवाये थे? क्यों उनकी तरफ़ मंसूब करके अपनी आख़िरत बरबाद कर [illegible]? और अगर ये मौलवी नहीं मानते तो न मानें क्योंकि हराम का माल खा–खाकर हो सकता है

कि इनके अन्दर इतनी हरामख़ोरी और अ़य्याशी आ गयी हो कि ये तो मुर्दा से, जानवर से, छोटी बच्ची से भी गन्दे काम कर सकता है पर आप चाहे देवबन्दी हों या बरेलवी आप तो इन्शाअल्लाह ऐसी बातें सोचने से भी डरेंगे, है कि नहीं?

शायद यही सब वजह है कि मौलवी लोग कहीं तो मदर्से की 7 साल की बच्ची से ज़िना कर बैठते हैं तो कहीं मौलवी मदर्से में पढ़ने वाले बच्चों से लिवातत कर बैठते हैं और मिर्ज़ापुर के मदरसा कुरआनिया के मौलवी जावेद नोमानी साहब के उÿपर भी जो मदर्से के बच्चे के साथ एग़लामबाज़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है (अल्लाह जाने सच है या झूठ) और उन पर धारा 377 लगाकर मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो गिरफ़्तार भी हुए हो सकता है वो भी शायद, सही हो– कि बहुत होगा तो फंसने पर ये बता देंगे कि हां मैंने ऐसा किया तो था पर 'मनी' नहीं गिराया था इसलिये मैं पाक हूँ और मेरा वुजू भी नहीं टूटा। डा0 तौहीद, मौलवी नौशाद व हाफ़िज़ निसार साहेबान आप कुछ देर के लिये अल्लाह का डर दिल में रखकर तब बतायें कि क्या ये सब बातें अ़वाम को और भी गन्दे–2 और बेहयायी के तरीक़े नहीं सिखा रहे हैं? ये बातें कुरआन की किन आयतों या किन हदीसों से साबित हैं? क्या इन्हीं सब बातों पर उम्मत में इज्माअ़ हुआ है? और ये मर्दों के साथ, हिंजड़ों के साथ, मुर्दों [illegible]ाथ, बच्ची के साथ कोई भी मोमिन ऐसे गन्दे काम करेगा? जब आप ये बतायेंगे कि वुजू भी

नहीं टूटेगा तो क्या कोई जाहिल मुसलमान कभी ऐसा 'ट्राई' मारने की कोशिश नहीं कर सकता? और फिर वो गन्दगी धोकर नमाज़ पढ़ ले तो क्या उसकी नमाज़ हो जायेगी? क्या तुम्हारा यही हनफ़ी मस्लक कुरआन–ओ–हदीस से साबित है?

और हां————

अजन्ता और एलोरा की गुफ़ाओं में बनी कामशास्त्र पर आधारित मूर्तियां वो सब कहीं ऐसी गन्दी सोच रखने वाले **आप जैसे** मौलवियों या मुक़ल्लिदों के पूर्वजों की तो नहीं हैं?

35. ''........ पस जबकि कुत्ता नजिस–उल–ऐन न हुआ तो उसका बेचा जाना, उजारा पर देना, उसके ज़ाया करने पर तावान का लाज़िम होना और उसकी खाल का बाद दबाग़त **''जाऽ–नमाज़'' और डोल** बनाना जायज़ होगा और अगर वो कुएं में गिर जाये और ज़िन्दा निकाल लिया जाये और उसका मुँह पानी तक न पहुँचा तो इस सूरत में कुएं का पानी नापाक न होगा.......।''

''और न उस शख़्स की नमाज़ फ़ासिद होगी जो हालते नमाज़ में कुत्ते को लिये रहा अगरचे कुत्ता बड़ा हो...।''

''कुत्ते की हड्डी, बाल, उसका फट्टा और जो चीज़ खाने के लायक़ नहीं हो पाक है ....।''

''कोई कुत्ता उठाये हुए नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ हो जायेगी।''

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–1, पेज–177)

नोटः– वाह रे मुक़ल्लिद मौलवियो! कहीं तुम लोग मुसलमान के भेष में यहूदियों के एजेण्ट तो नहीं हो। भला कौन मुसलमान तुम्हारी ये ख़ुदसाख़्ता गन्दे व ग़लत मसाएल को मानने को तैयार होगा? कुत्ते की खाल की जाऽ–नमाज़ बनाकर कुएं में कुत्ता गिरने पर उसे बाहर निकाल कर और उसी कुएं के पानी को कुत्ते की खाल के डोल में भरकर वुज़ू बनाकर और बड़े कुत्ते को गोद में लेकर कोई नमाज़ पढ़े तो हो जायेगी? कुत्ते की ख़रीद – फ़रोख़्त भी जायज़। ये सब क्या है? डॉ0 तौहीद साहब! आप ज़रा मुझे समझायें और हवाला दें कुरआन व हदीस का और अगर आप मुझे न समझायें न सही, सिर्फ़ स्टेज से खड़े होकर अपने मानने वालों के मजमा में ही इन सब लिखे गये गन्दे व ग़लत मसाएल को ही पढ़कर उन्हें सुना दें और तब आप कहें कि तुम्हारी नमाज़ हो जायेगी या तुम्हारे वुज़ू भी नहीं टूटे या तुम्हारे उÿपर ग़ुस्ल भी फ़र्ज़ नहीं हुआ। आप इतना ही कह दें जो आपकी फ़िक़्ह में भरे–पड़े हैं। इन्शाअल्लाह अ़वाम आपको उसी स्टेज पर ही सबक़ सिखा देगी। क्यों ऐसी बातों को फैला रहे हो? क्यों ऐसी फ़िक़्ह की क़िताबों को छापा जा रहा है? क्यों मदर्सों में पढ़ने वाले मौलवियों– आ़लिमों को ये सब पढ़ाये जाते हैं? क्या सिर्फ कुरआन व हदी[illegible]ारी निजात के लिये काफ़ी नहीं हैं?

36. ''किसी ने लकड़ी या उस जैसी चीज़ अपनी पाख़ाने के मुक़ाम में दाख़िल कर ली, इस तरह कि उसका दूसरा किनारा बाहर था तो रोजा़ नहीं टूटेगा और अगर पूरी की पूरी अन्दर दाख़िल है तो रोजा़ टूट जायेगा।''

''या किसी ने अपनी सूखी हुई उँगली अपने पिछले हिस्से में दाख़िल की या औ़रत ने अपनी शर्मगाह में दाख़िल की तो उससे भी रोजा़ नहीं टूटता है ....।''

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–1, पेज–154)

नोटः– वाह रे – मुक़ल्लिद मौलवियो! अब इसमें भी कह देना कि ये सब मसअ्ले–मसाएल हैं, कहीं ऐसा हो जाये, तो? इसलिये लिख दिया गया है। मुक़ल्लिद मौलवियो! ये कमीनी हरकतें तुम या तुम्हारी सिखायी समझायी बीवियां या इन फ़िक़्ह की कि़ताबों की ताअ्लीम पाने वाली तुम्हारी बेटियां तो शायद कर सकती हों लेकिन जाहिल से जाहिल अ़वाम भी रोजा़ की हालत में ये सब काम करना तो दूर (इन्शाअल्लाह) सोच भी नहीं सकता है।

अरे मौलवियो! अपने पाख़ाने के मुक़ाम में लकड़ी डालने की किसी को क्या ज़रूरत है, वो भी रोजा़ की हालत में? और अगर लकड़ी पूरी डाल लिया तो रोजा़ टूट गया यानि उसने लकड़ी ही नीचे से खा लिया और कौन कमबख़्त मर्द या औ़रत अपनी उँगली पीछे या आगे के मु[34]ं और वो भी रोजा़ की हालत में डालेगा?

37. ''और अगर अगले या पिछले हिस्से के सिवा दूसरी जगह में संभोग किया, जैसे रान में या नाफ़ में और मनी नहीं गिरी तो रोज़ा नहीं टूटेगा, इसी तरह **<u>हाथ से भी 'मनी' निकालने से</u>** भी रोज़ा नहीं टूटता है .....।''

''इसी तरह अगर किसी ने अपना लिंग किसी जानवर और मुर्दा इन्सान में दाख़िल किया और मनी नहीं गिरा तो **<u>उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा</u>** लेकिन अगर 'मनी' गिर जायेगा तो **<u>क़ज़ा लाज़िम होगी</u>** या किसी जानवर की पेशाबगाह को हाथ लगाया या उसका मुँह चूमा और **<u>इसकी वजह से 'मनी' गिर गयी</u>** तो इस सूरत में भी **<u>रोजा़ नहीं टूटेगा</u>**।''

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–2, पेज–156)

नोटः– मेरे प्यारे नादान, नावाक़िफ़, भोले और गुमराह किये गये दीनी भाईयो! अभी तक तो आपने देखा कि जानवरों, मुर्दो, हिंजड़ों, छोटी बच्चियों के साथ बदकारियां करने पर भी ये मौलवी ऐसे लोगों का गुस्ल या वुज़ू भी नहीं तोड़ रहा था और अब वही सब काम करने पर या हस्तमैथुन भी करने पर ''रोजा़ नहीं टूटेगा'' बता रहा है। अब आप ही बताईये कि क्या ये सब बातें किसी भी मुसलमान और वो भी अ़ल्लामा–मुहद्दिस आ़लिम या हाफ़िज़–ए–हदीस जैसी शख़्सियत को लिखना शोभा देता है? क्या ऐसा लिखने वाला व ऐस[35]ाने वाला मुसलमान है? ऐसे काम करने वालों को या लिखने वालों को मुसलमान समझना

उचित है? क्या ऐसे कामों से रोज़ा नहीं टूटेगा? अगर टूट भी जाये तो सिर्फ़ क़ज़ा ही लाज़िम आयेगी, कफ़्फ़ारा नहीं? इन मुकल्लिद मौलवियों का गुस्ल वुज़ू और रोज़ा क्या पहाड़ या लोहे का लट्ठ होता है कि 'सब कुछ' किये जाएं पर टूटता ही नहीं? (अल्लाह ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे या फिर बेहतर समझे तो उन्हें ग़ारत करे– आमीन)

अभी आपने वुज़ू– गुस्ल– नमाज़ – रोज़ा के मुताल्लिक़ देखा, आईये – अब ज़रा 'हज' के अय्याम में भी देखिये।

38. ''उसने हाथ की रगड़ से लिंग से मनी निकाला या उसने जानवर के साथ संभोग की और मनी गिर गया तो 'दम' वाजिब होगा, जानवर से संभोग में अगर मनी नहीं गिरा है तो **'दम' वाजिब नहीं** होगा।

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–2, पेज–305)

नोटः– शरम – शरम, मौलवी शरम कर और अल्लाह से डर। हज जैसे पवित्र इ़बादत के लिये लोग उम्र भर पाई–पाई जोड़कर तैयारी करते हैं और अपने गुनाहों से माफ़ी कराने की नियत या ख़्वाहिश से इस मुबारक काम (हज) के लिये जाते हैं। भला दुनिया में ऐसा भी कोई मुसलमान होगा जो कि हज के अय्याम में, उस पाक जगह जाकर ये सब नापाक काम करेगा? भला कोई जाहिल से जाहिल मुसलमान, गुनहगार, बदकार से बदकार इन्सान भी 'हज' में जाकर जानवर से बदफ़ेअ़ली करेगा? और जिसे यही सब करना हो तो उसे हज करने की क्या ज़रूरत है? उस क़मबख़्त को ये सब काम करने के लिये क्या वही जगह मिलेगी? हज में कुरबानी के जानवरों के साथ क्या यही सब फ़ेअ़्ल किये जायेंगे? जबकि ऐसा काम करने के बाद तो उस जानवर को और उस शख़्स को भी मार डालने का हुक्म अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने दिया है (बुलूग़ुलमराम, पेज–391), पर तुमने तेा 'दम' भी वाजिब नहीं होने दिया। (अल्लाह की पनाह)

मुक़ल्लिद मौलवियो! क्या तुम्हारे अन्दर इबलीस हुलूल कर गया है? क्या तुम्हें वाक़ई अल्लाह के अ़ज़ाब से कोई ख़ौफ़ नहीं रहा? और मेरे प्यारे भोले–भाले देवबन्दी व बरेलवी भाईयो! क्या तुम्हें भी इन झूठे मौलवियों से और इनकी झूठी व ग़लत शिक्षाओं से अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से ज़्यादा मुहब्बत हो गयी है? अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर जानकर बताओ कि क्या इनमें से एक भी मसअ्ला तुम सही मानने को तैयार हो? क्या अब भी तुम इन कोकशास्त्र से भी गन्दी फ़िक़्ह की क़िताबों को मानकर अपने आपको मुक़ल्लिद कहलाना पसन्द करोगे? या कि अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सुनहरी शिक्षाओं (कुरआन व हदीस) पर अ़मल करके मुत्तबेअ़् सुन्नत कहलाना पसन्द करोगे? खूब सोच लो। हमारा काम तो हक़ और बातिल को, कुरआन व हदीस को (अल्लाह की तौफ़ीक

से) साफ़– साफ़ पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुँचाना है, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथों में है। अगर अब भी न जागे तो ....?

39. ''किसी मर्द ने संभोग के लिये अपनी बीवी को जगाया या औ़रत ने शौहर को जगाया, उसी हाल में मर्द का हाथ बीवी के जवान लड़की को लग गया, वो लड़की चाहे उस मर्द से हो या दूसरे मर्द से या औ़रत का हाथ उसी हालत में शौहर के जवान बेटे के उÿपर पड़ गया चाहे वो बेटा उस मर्द से हो या दूसरे मर्द से तो माँ **हमेशा के लिये उस पर हराम** हो जायेगी इसलिये कि छूना शहवत (सेक्स) के साथ पाया गया चाहे ग़ल्ती से छुआ है।''

''किसी मस्त ने अपनी जवान लड़की का बोसा लिया तो उस पर **उस लड़की की माँ हराम** हो जायेगी।'' (दुर्रेमुख़्तार, भाग–2, पेज–390, 391)

नोटः– मारे घुटना फूटे सर। वही हाल है इन बेवक़ूफ़ मुक़ल्लिदों का। ग़लती से जवान बेटी या बेटे पर हाथ पड़ गया तो शौहर पर बीवी हराम हो जायेगी। मुक़ल्लिद मौलवियो! कहना क्या चाहते हो? साफ़–साफ़ कहो। कहीं ये तो नहीं समझाना चाहते हो कि अब मर्द अपनी जवान बेटी को या औरत अपने जवान बेटे को ही रख ले। (नऊज़बिल्लाह) अरे, बीवी सोई थी उसे भी पता नहीं चला और शौहर को भी नहीं कि हाथ बेटी पर लग गया है और अगर ऐसी ग़ल्ती हो भी जाये तो भला कौन ईमान वाला

फिर भी अपना हाथ अपनी जवान बेटी पर रखे रहेगा? और इस ग़ल्ती की सजा़ उस औ़रत या मर्द को हराम क़रार देकर क्यूँ दी जायेगी? है कोई दलील?

40. ''अपनी लड़की की शर्मगाह को शहवत (सेक्स) के साथ देखना **उसकी बीवी को उस पर हराम** कर देता है। लड़की ख़ौफ़ज़दा हुई और उसी ख़ौफ़ की हालत में नंगी होकर अपने बाप के बिस्तर में दाखिल हो गयी। उसके आ जाने की वजह से बाप में उत्तेजना पैदा हो गयी तो इस सूरत में **उस बेटी की माँ उस बाप पर हराम** हो जायेगी। बशर्ते कि उसके बाप ने उस लड़की को छुआ हो और अगर उसने **उसको छुआ नहीं तो हराम नहीं होगी**।'' (दुर्रेमुख़्तार, भाग–2, पेज–392)

नोटः– फिर वही बकवास! मौलवी साहेबान! क्या बैठे – बैठे तुम्हारी खोपड़ियों में यही सब उल्टे–सीधे मसाएल आते रहते हैं और यही तुम्हारी फ़िक़्हदानी है? अरे, अब तो इन वाहियात बातों को इन फ़िक़्ह की क़िताबों से निकालकर पाक करो। अल्लाह तुम्हें तौफ़ीक़ बख़्शे।(आमीन) ये मत कहना कि ये हमारे पहले के बुजुर्गों के या बाप–दादा के बताये हुए मसाएल या दीन हैं– अगर तुम्हारे पूर्वज या बाप–दादा अ़क़्ल नहीं रखते थे तो क्या तुम भी अ़क़्ल नहीं रखते? (बक़रः–170)

41. ''हलाला में ये शर्त है कि म–ए–मख़्सूस (योनि) में वती (सम्भोग) होने का यक़ीन हो इस तरह कि जिस तरह सम्भोग का

यक़ीन हो उसी तरह ये भी यक़ीन हो कि सम्भोग उसके योनि में हुई है, लिहाज़ा अगर औ़रत कमसिन है और इस क़द्र कि उस उम्र की लड़की से सम्भोग नहीं किया जाता हो तो अगर उससे दूसरा शौहर सम्भोग करेगा तो ये पहले शौहर के लिये हलाल नहीं होगी, इसलिये कि कमसिन लड़की जो सम्भोग के योग्य नहीं है वो महल–ए–शहवत नहीं होती है और उसका सम्भोग शरअ़न ऐतबार के लायक़ नहीं है, अलबत्ता अगर वो सम्भोग के योग्य हो तो दूसरे शौहर के सम्भोग करने से, पहले शौहर के लिये हलाल हो जायेगी, अगर दूसरा शौहर उसको सम्भोग करके **''मुफ़ज़ात'' कर डाले।** ''मुफ़ज़ात'' उस औ़रत को कहते हैं जिसके दुब्र (पख़ाने का मुक़ाम) और शर्मगाह (योनि) के बीच का परदा फट जाये और इस तरह दोनों एक हो जाये।''

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–3, पेज–196)

नोटः– अऊ़ज़ुबिल्लाह। मेरे दीनी भाईयो! आप देख रहे हैं न? इतनी शर्मनाक और ज़ालिमाना हरकतों को लिखकर फिर भी ये कहा जाये कि **फ़िक़्ह कुरआन–व–हदीस से ही लिखी गयी है**। क्या दुनिया का कोई भी मुक़ल्लिद मौलवी ये बात या इस तरह के बर्बरतापूर्ण किये गये कार्य की एक भी मिसाल कुरआन–ओ–हदीस में पेश कर सकता है? ये काम मुक़ल्लिद और ज़ालिम व अ़य्याश मौलवी तो कर सकता है कि छोटी सी बच्ची के साथ हमबिस्तरी करके उसके पेशाब व पखाने के मुक़ाम

के बीच के परदे को फाड़कर दोनों को एक कर दे पर एक कुरआन–ओ–सुन्नत को मानने वाला मुत्तबेअ़् सुन्नत शख़्स तो ऐसा कदापि नहीं कर सकता है। मुसलमानो! अब भी होश में आओ और इन वाहियात किताबों से तौबा करके सिर्फ़ और सिर्फ़ रब के कुरआन व नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के फ़रमान को ही अपनाओ। अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अ़ता करे। (आमीन)

42. ''लेकिन मुफ़ज़ात औरत (जिसका आगे–पीछे का मुक़ाम फटकर एक हो गया हो) जिसको 3 तलाक़ दी गयी है, दूसरे शौहर ने उसके साथ **यक़ीन के साथ सम्भोग** किया, यानि सम्भोग योनि में पायी गयी लेकिन वो पहले शौहर के लिये दुबारा उस वक़्त तक जायज़ नहीं होगी, जब तक वो हामिला (गर्भ से) न हो जाये ताकि **यक़ीन के साथ** मालूम हो जाये कि वती (सम्भोग**) उसकी शर्मगाह (योनि) में** पायी गयी है।'' (दुर्रेमुख़्तार, भाग–3, पेज–197)

नोटः– देखा आपने? एक तो हलाला कि लानत, जिसे करने वालों को नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने किराए का सांड़ कहा है। (इब्नेमाजा, हदीस नं0 1936) दूसरे हराम काम को हलाल बनाने का नाजायज़ तरीक़ा। तीसरे बेहयायी और बेशरमी की हद पार करके उýल–जलूल मसअ्लों का निर्माण।

यानि मुफ़ज़ात औरत जो कि कमसिन थी उसके साथ इतना ज़बर्दस्त सम्भोग किया गया कि उसके पेशाब और पाख़ाने के मुक़ाम को फाड़कर एक कर दिया गया, फिर सम्भोग करने वाले को ये भी पता नहीं है कि सम्भोग पेशाब के मुक़ाम (योनि) में कर रहा है या पाख़ाने के मुक़ाम (दुब्र) में! सही बात है कि इन्सान जब मुक़ल्लिद हो जाता है तो वो तक़्लीद में अन्धा हो जाता है।

ऐसी मुफ़ज़ात औ़रत से तब तक सम्भोग करता रहे जब तक कि गर्भ धारण न हो जाये और **अब वो उसे तलाक़ दे** तब वो पहले शौहर के लिये **हलाल हो जायेगी**। गर्भ में पल रहा बच्चा किसके पास रहेगा? अपने 'हलाला', वल्द के चक्कर में उस बेचारे की ऐसी की तैसी क्यूँ कर रहे हो? क्या इसका भी कोई जवाब है?

(अल्लाह की लानत हो ऐसे मसाएल बनाने वालों और उन्हें मानने वालों पर)

आईये– इनकी एक और बेअ़क़्ली का नमूना देखते चलिये।

43. "शौहर ने बीवी खुलाअ़ कर लिया या तलाक़–ए–बाइन दे दी या 3 तलाक़ें दे दी और उससे सम्भोग कर चुका था। उस औ़रत को मब्तूता कहा जाता है, उस औरत के अगर बच्चा पैदा हुआ तलाक देने के बाद 2 बरस से कम मुद्दत में तो उस बच्चे का **नस्ब शौहर से साबित** होगा, क्योंकि जायज़ है कि तलाक़ के वक़्त बच्चा औरत के पेट में पहले से मौजूद रहा हो, इस नस्ब के सुबूत में **शौहर के दावा की ज़रूरत नहीं** है।"

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–3, पेज–387)

नोटः– क्या समझे आप? तलाक़ के 2 साल तक में अगर औरत को बच्चा पैदा हो तो ये समझा जायेगा कि तलाक से पहले का गर्भ था और 2 बरस (लगभग) तक पेट में रहा और अब पैदा हुआ है। अब इस पर मैं ज़्यादा तब्सरा (टिप्पणी) नहीं करूंगा आप लोग खुद ही समझदार हैं।

ज़रा चलते–चलते एक–आध और सनसनीख़ेज़ और चौंकाने वाला, हक़ीक़त व अ़क़्ल से कोसों दूर मसअ्ले को भी देखते चलिये फिर सोचिये कि ये सब मसअ्ले लिखने वाले लोग कैसे मुसलमान रहे होंगे और इसे सही समझने वाले कैसे ईमान वाले हैं और इसे कुरआन–ओ–हदीस से ही लिये गये मसअ्ले बताने वाले कितने बड़े झूठे–मक्कार और फ़रेबी लोग हैं।

44. "**शौहर मग़रिब में और बीवी मश्रिक़ में–** तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा उसका हुक्म क्या है?"

मर्द व औ़रत में निकाह का रिश्ता क़ायम हुआ जबकि दोनों में से एक पूरब में और दूसरा पश्चिम में रहता है और निकाह के 6 माह बाद में बच्चा पैदा हुआ तो उस लड़के का नस्ब साबित होगा, साहबे फ़राश होने की वजह से!

साहबे फ़राश या क़यामे फ़राश के मायने ये हैं कि निकाह के कारण सम्भोग का हलाल होना। चाहे दुखूले हक़ीक़ी या हुक्मी (यानि वास्तव में या हुक्मी सम्भोग) न हुआ हो, इसलिये कि

सम्भोग बतौर करामत या इस्तेख़दाम के मुमकिन है। .... यानि मुमकिन है कि निकाह के बाद बतौर करामत या किसी जिन्न को अधीन (ताबेअ़) बनाकर शौहर पश्चिम से पूरब एक क्षण में पहुँच जाये और बीवी से सम्भोग करे।

(दुर्रेमुख़्तार, भाग–3, पेज–406)

नोटः– पाठकगण पूरा मसअ्ला एक बार फिर से पढ़ लें और ख़ास तौर पर मुक़ल्लिद डॉ0 तौहीद व मौ0 नौशाद और हाफ़िज़ निसार साहेबान जो कि फ़िक़्ह को कुरआन व हदीस से उदघृत समझते हैं अब बतायें डॉ0 तौहीद साहब! मान लीजिये आपका बेटा सउýदी अ़रब या किसी दूसरे मुल्क में काम करने या किसी दूसरे काम से गया हो और 3 या 4 साल बाद वापस आये और आपकी बहू तब तक 2 बेटों को जन्म दे दे तो अल्लाह को हाज़िर–नाज़िर जानकर बतायें कि क्या आप इसे अपने **बेटे की करामत या बहू की करामत** मानेगे क्या ये मानेगे कि शायद आपकी बहू के क़ब्ज़े में कोई जिन्न हो जो उसे उठाकर बिना बीजा या पासपोर्ट के बेटे के पास ले जाता हो और सारा कार्यक्रम कर – कराकर वापस ले आता हो या आपके बेटे के क़ब्ज़े में ही कोई जिन्न हो और वो उसे यहाँ ले आता हो और सिर्फ़ बीवी से हमबिस्तरी (माँ–बाप से मिले बिना ही) वापस भी चला जाता हो या मौ0 नौशाद, हाफ़िज़ निसार साहब आप में से कोई शहर से बाहर हों और आपकी ग़ैर हाज़िरी में आपकी

बीवी को बच्चे पैदा हों तो आप उसे अपनी या अपने बीवी की करामत मानेंगे?

45. ''मुफ़्ती सक़्लैन इमाम नजमुद्दीन उ़मर नस्फ़ी से सवाल किया गया है कि ये हिकायत जो बयान की जाती है कि काबा मुअ़ज़्ज़मा एक वली की ज़ियारत के लिये जाता था– कहना जायज़ है कि नहीं? तेा मुफ़्ती सक़्लैन ने जवाब दिया कि ख़र्क़–ए–आ़दत (आ़दत और कुदरत के ख़िलाफ़ अनोखी बात) व तरीक़े करामत अह्ल–ए–वेलायत के लिये जायज़ है अहल–ए–सुन्नत वल जमाअ़त के नज़दीक।'' (दुर्रेमुख़्तार, भाग–3, पेज–406)

नोटः– ये काबा की तौहीन देख रहे हैं आप? नबी–ए–अकरम हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के लिये तो कभी काबा चलकर नहीं गया और ये मुक़ल्लिद, पिद्दी और पिद्दी के शोरबाओं के लिये काबा चलकर जायेगा? ये क्या बकवास लिख रखा है? और उस पर से तुर्रा ये कि हमारी फ़िक़्ह वास्तव में कुरआन व हदीस से ही उद्घृत है। (नऊýज़बिल्लाह)

ये तो रहे हनफ़ी फ़िक़्ह के चन्द हवाले, अब ज़रा इसी हनफ़ी मस्लक के इन दो बड़े गिरोह (देवबन्दी–बरेलवी) जिन्होंने मिर्ज़ापुर में **अहलेहदीस के ख़िलाफ़** ी की और किताबचे बांटे हैं, इनके बड़े ओ़लमा की मशहूर किताबों के भी मुख़्तसर हवाले पेश किये जा रहे हैं, ज़रा इस पर भी नज़र डाल लीजिये।

बरेलवी नमूने

1. अंबिया अ़लैहेमुस्सलातोवस्सलाम की क़ब्रों में अज़्वाजे मोतहरात (बीवियां) पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शबे—बाशी (सोहबत) फरमाते हैं। (अल—मलफूज़, भाग 3, पेज 245, आ़ला हज़रत) (अउÿज़ुबिल्लाह)

नोट :— कौन मुसलमान ऐसा होगा, जिसका ये अ़क़ीदा हो कि नबियों की क़ब्रों में बीवियां पेश होती हैं और वो उनसे सोहबत करते हैं। अगर ऐसा होता है तो सोहबत के बाद गुस्ल भी करते होंगे और उन्हें बच्चे भी पैदा होते होंगे। (अउÿज़ोबिल्लाह) — अब इसका जवाब तो बरेलवी हज़रात ही दे सकते हैं।

2. हज़रत सय्यदी अ़ब्दुल वहाब, अकाबिरे औलिया—ए—कराम में से हैं। अपने शेख़ हज़रत सय्यदी अहमद बदवी कबीर के उर्स में आई हुई एक क़नीज़ को देखते हैं तो उसे पसन्द कर लेते हैं। उनके शेख़ (मजा़र में से) उन्हें वो लड़की हिबः कर देते हैं और कहते हैं कि — **अब देर काहे की है, फ़लां हुजरे मे ले जाओ और अपनी हाजत पूरी करो।** (अल—मलफूज़, भाग 3, पेज 245 आ़ला हज़रत)

नोट :— ये हैं मस्लके आ़ला हज़रत के औलिया—ए—कराम और ये हैं उनके मुरीद। जिन्हें उनके शेख़ मरने के बाद भी मज़ार से क़नीज़ पेश कर रहे हैं। अब समझ में आया — कि मजा़रों के पास ये हुजरे क्यूँ बनाये जाते हैं। वाह रे मस्लके आ़ला हज़रत!

2. सय्यदी मूसा सुहाग, खुदा की बीवी। (अल—मलफूज़, भाग 2, पेज 184, 185 आ़ला हज़रत) (अउÿज़ुबिल्लाह)

नोट :— शायद खुदा से इनका निकाह भी आ़ला हज़रत ने ही पढ़ाया होगा।

(अउÿज़ुबिल्लाह)

4. अंबिया—ए—कराम (अ़लै0) के नुत्फ़े कि उनका पेशाब भी पाक है।

(फ़तावा, रज़विया, भाग 2, पेज 138)

नोट :— जब नुत्फ़े और पेशाब पाक हैं तो गुस्ल या इस्तिन्जा में पानी क्यों लेते थे? इसका जवाब तो मस्लके आ़ला हज़रत के ओ़लमा ही दे सकते हैं।

5. तवायफ़ ने फ़ातिहा के लिये शीरनी ख़रीदी और उसका पैसा क़र्ज़ के तौर पर बाद में अपने माल हराम से दिया तो **वो शीरनी हलाल होगी।** अगर अपना **माल हराम दिखाकर** उसके बदले में शीरनी लिया तो **वो शीरनी हराम होगी।**

(अहकामे शरीअ़त, भाग—2, पे[illegible]—145 आ़ला हज़रत बरेलवी)

नोट :— वाह रे बरेलवियो! और वाह रे तुम्हारे आ़ला हज़रत। **हराम को हलाल करना** तो कोई तुम लोगों से सीखे।

6. मस्जिद, मदरसा बनवाने में रूपये नहीं लगते बल्कि सामान (ईंट, सीमेन्ट, बालू वगैरह—2) लगते हैं। अगर सूद, शराब या रिश्वत की कमाई के पैसे दिखाकर सामान लेते वक़्त ये न कहा

गया हो कि इसके बदले फ़लां चीज़ दे, तो जो चीज़ खरीदी वो ख़बीस नहीं होती। इस तरह से लिये गये सामान के फ़ातिहा, उर्स का खाना जाएज़ है और इस तरह से लिये गये सामानों से बनवाई गयी मस्जिद में नमाज़, मदरसे में पढ़ना, जाएज़ है।

(अहकामे शरीअ़त, भाग–1, पेज 110 आ़ला हज़रत बरेलवी)

<u>नोट</u> :– वाह भई वाह, फातिहा, उर्स के खाने को खाने के लिए **<u>सूद, शराब, रिश्वत भी हलाल कर डाला,</u>** बजाए उस पर वअ़ीद के और हौसला अफ़जाई की जा रही है।

7. जुलाहे, खाल पकाने वाले, मोची और नाई, इनकी तरह **<u>ज़लील पेशेवर</u>** जो अपने **<u>ज़लील पेशों</u>** के साथ मसरूफ़ हैं कितने ही बड़े आ़लिम हो जाएं पर **<u>शरीफ़ों के बराबर नहीं हो सकते।</u>** (फ़तावा रज़विया, भाग 5, आ़ला हज़रत)
इनके अलावा नाई और मनिहारों को भी ज़लील लिखा है। (अल मलफूज़)

<u>नोट</u> :– न जाने कितने रों ने, कितने वलियों ने इन पेशों को अपनाया था तो **<u>क्या वो सब ज़लील लोग थे?</u>** इसका जवाब मस्लके आ़ला हज़रत के ओ़लमा ही दे सकते हैं।

8. चांदी और सोने की घड़ी रख सकता है। अलबत्ता उसमें वक़्त नही देख सकता, कि हराम है।(अल–मलफूज़, भाग 3, पेज 220 आ़ला हज़रत)

<u>नोट</u> :– तो घड़ी रखकर क्या करेगा? जरा इनसे पूछिये।

9. मैं अपनी हालत वो पाता हूँ जिसमें फ़ोक़हा–ए–कराम ने लिखा है कि सुन्नतें भी ऐसे शख़्स को माफ़ हैं लेकिन अल–हम्दो लिल्लाह, सुन्नतें कभी न छोड़ीं। नफ़िल अलबत्ता उसी रोज़ सं छोड़ दिये।

(अल–मलफूज़, भाग 4, पेज 346 आ़ला हज़रत)

<u>नोट</u> :– अल्लाह की पनाह। **<u>आ़ला हज़रत साहब कुछ दिनों और ज़िन्दा होते तो शायद फ़र्ज़ भी अपने लिये माफ़ कर लेते।</u>**

10. किसी हामिलः औरत के आधा बच्चा पैदा हो लिया है और नमाज़ का वक़्त आ गया तो अभी नफ़ा नहीं। हुक्म है कि गढ़ा खोदे या देग पर बैठे और इस तरह **<u>नमाज़ पढ़े कि बच्चे को तकलीफ़ न हो।</u>**

(अल–मलफूज़, भाग 2, पेज 185 आ़ला हज़रत)

<u>नोट</u> :– ये तो बरेलवी ओ़लमा ही बता सकते हैं कि अपनी बीवियों को भी इस हालत में जबकि आधा बच्चा पैदा हो चुका हो और जिस्म से गन्दा पानी न निकल रहा हो तो नमाज़ पढ़ने की ताकीद करते हैं या नहीं।

11. हर जगह हाज़िर–ओ–नाज़िर होना खुदा की सिफ़त हर्गिज़ नहीं.........

कुछ आगे चलकर लिखा– **"खुदा को हर जगह में मानना बे दीनी है**। हर जगह में होना तो रसूल–ए–खुदा ही की शान है।" (जाऽल हक़, पेज 153, भाग 1 अहमद यार खाँ)

नोट :– अब समझ में आया कि मस्लके आ़ला हज़रत को मानने वाले बेनमाज़ी, दाढ़ी मुंडाने वाले, झूठे, शराबी–जुआरी, हरामखोर वग़ैरह क्यूँ होते हैं। जब उनके यहाँ अल्लाह हाज़िर–ओ–नाज़िर ही नहीं तो फिर डर किसका है, जो चाहें करें कौन देखने वाला है। रहे, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) तो उनका दामन पकड़कर मचल जायेंगे, उछल जायेंगे तो ये बच जायेंगे। (अऊजुबिल्लाह)

ये तो रहे बरेलवी किताबों के चन्द नमूने ज़्यादा तफ़सील से जानने के लिए हमारा मुहम्मदी इश्तिहार "मस्लक–ए–आ़ला हज़रत की झलकियां" और "आ़ला हज़रत का फ़त्वा, जुलाहे–मोची–नाई और मनिहार वगैरह नीच और ज़लील हैं" पढ़ें।

देवबन्दी नमूने (बहिश्ती ज़ेवर से)

मसअ्ला नं. 5:– छोटी लड़की से अगर किसी मर्द ने सोहबत की जो अभी जवान नहीं हुई तो **उस पर गुस्ल वाजिब नहीं लेकिन आदत डालने के लिये उससे गुस्ल कराना चाहिये**। (जिन चीजों से गुस्ल वाजिब होता है उनका बयान, भाग–1, पेज–64)

मसअ्ला नं0 26– हाथ में कोई **नजिस चीज़** लगी थी उसको किसी ने **ज़बान से 3 दफा चाट लिया** तो भी पाक हो जायेगा............।

(नजासत पाक करने का बयान, भाग – 2, पेज – 70)

मसअ्ला नं. 1 :– किसी के **लड़का पैदा हो रहा है** लेकिन अभी **सब नहीं निकला कुछ बाहर निकला है और कुछ नहीं निकला।** ऐसे वक़्त भी अगर होश–ओ–हवास बाक़ी हों **तो नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, क़ज़ा कर देना दुरूस्त नहीं** ....। (नमाज़ का बयान, भाग – 2, पेज–127)

मसअ्ला नं. 3:– किसी ने कहा अपनी फ़लानी लड़की का निकाह मेरे साथ कर दो। उसने कहा **मैंने उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया तो निकाह हो गया।** चाहे फिर वो यूँ कहे **कि मैंने कुबूल किया या न कहे** निकाह हो गया। (निकाह का बयान, भाग–4, पेज–195)

मसअ्ला नं. 2 :– हमल (गर्भ) की मुद्दत कम से कम छः महीने है और ज़्यादा से ज़्यादा **2 बरस** यानि कम से कम छः महीने का लड़का पेट में रहता है फिर पैदा होता है, छः महीने से पहले नहीं पैदा होता और ज़्यादा से ज़्या **2 बरस पेट में रह सकता है,** उससे ज़्यादा पेट में नहीं रह सकता।

मसअ्ला नं. 10:– **मियां परदेस में है और मुद्दत हो गयी, बरसों गुजर गये** कि घर नहीं आया और यहाँ लड़का पैदा हो गया **तब**

<u>भी वो हरामी नहीं उसी शौहर का है</u>......(लड़के के हलाली होने का बयान, भाग – 4, पेज – 239, 240)

मसअ्ला नं. 7:– किसी पर गुस्ल फर्ज़ हो और पर्दे की जगह नहीं तो उसमें ये तफ़सील है कि **<u>मर्द को मर्दों के सामने नंगे होकर नहाना वाजिब है इसी तरह औरत को औरतों के सामने भी नहाना वाजिब है</u>**............। (हद्से अकबर के अहकाम, भाग–11, पेज – 691)

मसअ्ला नं. 1:– .... अगर नमाज़ पढ़ने वाले के जिस्म पर कोई ऐसी **<u>नापाक चीज़</u>** हो जो अपनी **<u>जाए पैदाईश में हो</u>** और बाहर में उसका कुछ असर मौजूद न हो तो **<u>कुछ हर्ज़ नहीं,</u>** इसलिये कि उसका लोआब उसके जिस्म के अन्दर है............।

(नमाज़ की शर्तों का बयान, भाग – 11, पेज – 698)

नोट :– कुछ समझे आप? यानि नमाज़ में अगर **कुत्ता** वगैरह जिस्म पर हो और उसका थूक बाहर न हो तो कोई हर्ज़ नहीं यानि **<u>कुत्ते को गोद में लेकर नमाज़ पढ़ सकते हैं।</u> (ला हौल वला कुव्वत)**

ये तो उन चावल के बस चन्द नमूने हैं जो मैंने देवबन्दी गिरोह के सिर्फ एक किताब की देगची कालकर पेश किये हैं। इस देवबन्दी गिरोह की दीगर किताबों के हवालों के साथ और ज़्यादा तफ़सील से जानने के लिये आप हमारा मुहम्मदी इश्तिहार "**बहिश्ती ज़ेवर या जहन्नमी ज़ेवर**" और "**फ़ज़ाएल–ए–आमाल या बरबादी–ए–आमाल**" व "**ओ़लमा–ए–देवबन्द की हक़ीक़त**" वगैरह पढ़ें।

हनफ़ी मस्लक की फ़िक़्ह की क़िताबों में ऐसी गन्दगी व ग़लत बातें भरी पड़ी हैं तभी तो **<u>मैंने भी लात मारकर अहलेहदीस (सिर्फ कुरआन–ओ–हदीस) मस्लक को अपना लिया है।</u>**

अगर डॉ0 मुहम्मद तौहीद, मौ0 नौशाद आलम, हाफ़िज़ निसार वगैरह अपने क़ौल में वाकई सच्चे हों तो हमारी इस किताब में दिये गये उनकी किताबों के सारे हवाले कुरआन–ओ–हदीस से साबित कर दें या फ़िर यही साबित कर दें कि ये सारे हवाले उनकी किताबों में नहीं हैं तो मैं उनके मस्लक में आने को तैयार हूँ और अगर अल्लाह तआ़ला उनको उम्र दे दे तो इन्शाअल्लाह **<u>क़यामत तक वो इसे साबित नहीं कर सकते</u>** हैं।

आख़िरी बात

दोस्तो! आख़िर में मैं **<u>आपकी अ़दालत में</u>** बात रखता हूँ आप ही जवाब दें कि– अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की वफ़ात के बाद चारो ख़लीफ़ा (हज़रत अबू बक्र – हज़रत उमर फ़ारूक़ – हज़रत उस्मान ग़नी – हज़रत अ़ली (रज़ि0)) अफ़ज़ल थे या कि उनके बाद के चारों इमाम? अगर चारों ख़लीफ़ा अफ़ज़ल थे और बे अफ़जल थे तो फिर उनको छोड़कर इन चारों इमाम की तक़्लीद कैसे वाजिब हो गयी? और इसे किसने और कब वाजिब किया? और अगर चारों इमाम बरहक़ थे तो फिर ये चार क्यूँ हैं? एक ही तरीक़े पर क्यूँ नहीं हैं?

फिर इनके मानने वालों में एक, दूसरे को गुमराह – काफ़िर – दज्जाल वग़ैरह क्यूँ कहते हैं? ये दो रूख़ी बातें क्यूँ हैं?

पहले इमाम माने जाने वाले नोमान बिन साबित (रह0) यानि हनीफ़ा के वालिद अबू हनीफ़ा (80 – 150 हि0) ने अपनी लिखी कोई भी किताब छोड़ी है? यानि उन्होंने भी कोई किताब लिखी है? अगर लिखी है तो कब? कहाँ और कौन सी? उसका नाम पेश करें। अगर नहीं लिखी है या अगर उनकी लिखी कोई भी किताब मौजूद नहीं है और वास्तव में पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है तो फिर किसी बात को उनके शागिर्दों (अबू यूसुफ़ – इमाम मुहम्मद) द्वारा मंसूब किये जाने पर उन बातों को या किसी अन्य द्वारा गन्दे व ग़लत मसाएल लिखकर अबू हनीफ़ा (रह0) की तरफ़ मंसूब करके उसे वास्तव में अबू हनीफ़ा (रह0) के मसाएल कहना क्या उनके साथ इंसाफ होगा? क्या ये मक्कारी नहीं है? क्या अबू हनीफ़ा (रह0) ऐसे गन्दे मसाएल बयान कर सकते हैं?

अगली बात ये है कि कुरआन मजीद के बाद हदीसों में कुतुब सित्तह (सहीह बुख़ारी – सहीह मुस्लिम–अबू दाउÿद–नसई–तिर्मिज़ी–इब्नेमाजा) को बड़ी मेहनत व मशक़्क़त करके लिखने वाले मुहद्दर्सी से कोई भी हनफ़ी मस्लक का क्यों नहीं है?

और क्या अल्लाह ने हमें हनफ़ी – शाफ़ई – मालिकी – हंबली बनने का हुक्म दिया है? क्या हमें किसी इमाम के दामन से चिमट कर उनकी अन्धी तक़लीद करने का हुक्म दिया है? क्या अल्लाह व रसूल(सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के हुक्म के ख़िलाफ़ किया गया कोई भी अ़मल अल्लाह के यहां मक़बूल होगा? देखिये – सूरः मुहम्मद – आयत – 33

क्या इस तरह के लिखे गये गन्दे व ग़लत मसाएल कुरआन व हदीस में कहीं मिलते हैं? अगर नहीं और यक़ीनन नहीं तो इन गन्दे मसाएल को कुरआन व हदीस से ही लिये गये मसाएल कहने वाला कैसा मुसलमान होगा? उसका ईमान किस दर्जे का होगा?

ऐसे न जाने कितने ही सवालात हैं जिनके जवाब इन्शाअल्लाह नहीं दिये जा सकते हैं और उपरोक्त गन्दे मसाएल तो मैंने सिर्फ़ चन्द नमूनों के तौर पर लिखे हैं वरना ऐसे तो बहुत ही गन्दे – गन्दे व ग़लत मसाएल इन हनफ़ी फ़िक़्ह की क़िताबों के अन्दर भरे पड़े हैं, जिन्हें अन्जाने में आ़म देवबन्दी–बरेलवी सभी मानते हैं।

अल्लाह ने हमें सिर्फ़ कुरआन व हदीस पर ही अ़मल करने का हुक्म दिया है – ''रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे रूक जाओ।''

(सूरः हश्र – आयत – 7)

''ऐ ईमान लाने वालो! अल्लाह की इताअ़त करो और रसूल की इताअ़त करो और अपने आ़माल बरबाद मत करो।''

(मुहम्मद, आयत – 33)

इसलिये दोस्तो! हम सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह का कुरआन व रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का फ़रमान ही मानें, बस। हम न देवबन्दी न बरेलवी न रज़वी न अशरफ़ी – न हनफ़ी – न शाफ़अ़ी – न हंबली – न मालिकी बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ :मुहम्मदी' बनें। यानि किसी शख़्सियत या शहर की जानिब अपने को मंसूब न करके उस ज़ात की तरफ़ अपनी निस्बत करें जिसकी **पैरवी व इताअ़त** करने का हुक्म खुद अल्लाह ने हमें दिया है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियां हम उम्मतियों की माँएं हैं उसी तरह खुद नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम उम्मतियों के **रूहानी बाप हैं** तो सिर्फ उनकी तरफ ही अपनी निस्बत करें और अपने आपको **फ़ख़्र से 'मुहम्मदी' कहें** न कि हनफ़ी – शाफ़अी – मालिकी या हंबली या अशरफ़ी, रज़वी।

शेख़ अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी (रह0) आज जिनकी हनफ़ी हज़रात ग्यारहवीं शरीफ़ के नाम से फ़ातिहा कराते हैं और उन्हें अल्लाह का वली भी समझते हैं उन्होंने अपनी किताब (गुनियतुत्तालेबीन, पेज 193 से 210 तक) में 73 फ़िरक़ों की पूरी तफ़्सील (उसके संस्थापकों के नाम के साथ) है, उसमें जिन 72 फ़िरक़ों को 'गुमराह' लिखा है उसमें 'हनफी – फ़िरक़ा' को भी शामिल किया है। अगर तुम उन्हें बुजुर्ग – वली मानते हो तो उनकी बातों को

भी क्यों नहीं मानते? शेख़ अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी (रह0) ने अहले सुन्नत वल जमाअ़त यानि कि अहलेहदीस को ही सिर्फ़ हक़ वाली जमाअ़त लिखा है यानि जन्नती जमाअ़त। देखिये– गुनियतुत्तालेबीन, पेज–186

और अब

आख़िरी सवाल कि, ''अ़क़ाएद ओ़लमा–ए– अहलेसुन्नत देवबन्द'' के पेज नम्बर 32–33 पर जो ये लिखा गया है कि– ''हम और हमारे मशाएख़ और हमारी सारी जमाअ़त बहम्दोलिल्लाह फ़ुरूआ़त में मुक़ल्लिद हैं मुक़्तदा–ए–ख़ल्क़ हज़रत इमाम–हम्माम, इमाम–ए–आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रज़ियल्लाहुअ़न्हु के और उसूल–ओ–एतक़ादियात में पैरो हैं इमाम अबुल हसन अशअ़री और इमाम अबू मंसूर मातरेदी रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा के ...... ।''

मैं पूछना चाहता हूँ कि हनफ़ी देवबन्दियो! ये बताओ कि तुमने हबू हनीफ़ा (रह0) को अ़क़ीदे में अपना इमाम क्यों नहीं बनाया? क्या उनका अ़क़ीदा ख़राब था? सिर्फ़ फ़ुरूआ़त में ही उन्हें अपना इमाम क्यों बनाया? और क्या सारी ख़ल्क़ के मुक़्तदा अबू हनीफ़ा (रह0) थे या कि नबी करीम हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम)? अ़क़ीदे में अलग फ़ुरूआ़त में अलग इमाम, तरीक़–ए–सूफ़िया में अलग इमाम? इसके क्या मायने?

इसी तरह के कई सवालात हैं पर अभी सिर्फ़ नमूने के तौर पर हम इतने ही पेश कर रहे हैं।

अ़वाम से अपील

अब मैं अ़वाम को जज नियुक्त करते हुए उनकी अ़दालत में ये गन्दे व ग़लत मसाएल पेश करने के बाद कहना चाहता हूँ कि क्या अब भी आप होश में नहीं आएंगे? क्या आपका अब भी कुरआन–ओ–सुन्नत से दूर रहकर सिर्फ़ फ़िक़्ह को ही सब कुछ समझ लेना ठीक होगा? क्या ऐसे गन्दे व ग़लत मसाएल कुरआन–ओ–सहीह हदीसों में कहीं भी मौजूद हैं? क्या इन गन्दे मसाएल को आपके सामने पेश करके मैंने कोई ग़ल्ती की है? या कि आपको सचेत किया है? क्या आपने भी बनी इसराईल की तरह अपने आ़लिमों को 'रब' बना लिया है?(तौबा–31) अगर हां तो ऐसे में अल्लाह का अ़ज़ाब (कभी तूफ़ान कभी बाढ़ कभी सूखा कभी ज़लज़ला कभी काफ़िरों के हाथों जान–माल का नुक़सान) नहीं आयेगा तेा फिर क्या आयेगा?

अब भी वक़्त है मैं आपके ज़मीर को झंझोड़ते हुए आपकी ग़ैरत को आवाज़ देता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अब भी होश में आईये और तक़लीद के इस अन्धे कुएं से निकलकर तहक़ीक़ करने वाले (शोध करने वाले) बनिये, आँखें खोलकर खुद कुरआन–ओ–हदीस की ताअ़्लीम हासिल कीजिये और सिर्फ़ इन्हीं दो चीज़ों को कसौटी बनाकर सभी की बातें इन्हीं 2 चीज़ों (कुरआन व हदीस) पर परखिये अगर मिल जावे तो माथे का झूमर बना लीजिये और

अगर नहीं मिले तेा जूतों की नोंक पर उड़ा दीजिये। इन्शाअल्लाह तब आपको कोई भी गुमराह नहीं कर पायेगा और आप ''सेरात–ए–मुस्तक़ीम'' को पा जायेंगे। इसलिये अ़तीउल्लाह व अ़तीउर्रसूल को अपनाईये और मुतीअ़, मुत्तबेअ़ सुन्नत यानि सिर्फ़ कुरआन–ओ–हदीस को मानने वाला सही मायने में सच्चे अहलेहदीस बनिये।

अल्लाह तआ़ला से दुआ़ है कि हम सभी मुसलमानों को सच्चा, पक्का मोमिन सहीह मायने में कुरआन–ओ–हदीस को मानने वाला अहलेहदीस बनाये और अन्धी तक़्लीद के अन्धे कुएं से बचाकर अपने प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अ़मल करने वाला बनाये, इसी पर ज़िन्दा रखे इसी पर मौत दे।(आमीन)

आखिर में डॉ0 तौहीद, मौ0 नौशाद व हाफ़िज़ निसार साहब को भी ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के वास्ते तास्सुब, ज़िद व हठधर्मी को छोड़ दें और बातिल अ़क़ीदों, ग़लत बयानों, झूठी बातों व अन्धी तक़्लीद से सच्ची तौबा कर लें। अल्लाह से डरें और इस तरह के गन्दे व बातिल किताबों को अंगार के हवाले करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के कुरआन व मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की हदीसों को पेशानी का झूमर बना लें। उसी की

शिक्षा व तालीम को आ़म करें क्योंकि निजात इसी में है। अल्लाह हम सब को नेक हिदायत की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। (आमीन)

और इस किताब के छपवाने में जिन–जिन लोगों ने भी सहयोग किया है उनके लिये भी दीन–ओ–दुनिया की भलाई और आख़िरत में निजात का सबब बनाये व तमाम मुक़ल्लिद भाईयों को अन्धी तक़लीद से निकालकर कुरआन–ओ–सुन्नत की सुनहरी ताअ़लीमात पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये और भटके हुए तास्सुबी मुक़ल्लिद ओ़लमा को भी आख़िरत का खौफ़ फ़रमाये। (आमीन)

सार्वजनिक अपील

अल्लाह की तौफ़ीक से–

इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी, मिर्ज़ापुर और उसके अन्तर्गत चल रहे इस्लामिक रिसर्च सेन्टर के ज़रिये ‘‘शिर्क–ओ–बिद्अ़त के ख़िलाफ़ ऐलान–ए–जंग’’ की मुहिम चलाकर किताबों, कैसेटों, सी0डी0, तक़रीरों, तहरीरों, खुत्बों, जलसों व दर्स के अलावा मुख़ालेफीन से तर्क–वितर्क और मुलाक़ातों के ज़रिये ख़ालिस कुरआन–ओ–हदीस की दाअ्वत मुस्लिम व ग़ैर मुस्लिम अ़वाम में आ़म की जाती हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं।

तावीज़–गण्डों का कारोबार चलाने वालों व झूठे, मक्कार पीर, फ़क़ीर, मुल्ला, मौलवियों के ख़िलाफ़ लोगों में सही शिक्षा के ज़रिये जागृति पैदा करने की मुहिम भी जारी है। लोगों को जादू–टोना, जिन्न–आसेब वगैरह के बारे में कुरआन–ओ–हदीस की रोशनी में इसकी हक़ीक़त व इलाज भी बताया जाता है।

आतंकवाद और जिहाद जैसे विषय के बारे में भी सही बातें कुरआन–ओ–हदीस की रोशनी में पेश की जाती हैं ताकि अ़वाम हकी़क़त से वाक़िफ़ हो जाए और किसी के बहकावे में आकर गुमराह न हो।

सुन्नी–वहाबी, 24 नम्बर, ग़ैर मुक़ल्लिद वग़ैरह जैसे नामों की हकी़कत भी लोगों को बताये जाते हैं।

मुस्लिम नवजवानों व शादी के ख़्वाहिशमन्द लड़के–लड़कियों को **बिना जहेज़, लेन–देन या ग़लत रस्म–ओ–रिवाज और बिरादरी की कै़द के,** सुन्नत के मुताबिक़ निकाह करने की सही ताअ्लीम देकर तैयार किया जाता है। अल्लाह के फ़ज़्ल से कुछ ‘निकाह’ कराए भी जा चुके हैं और उनमें से कुछ बाल–बच्चे वाले भी हो गये हैं। इनके अलावा कई रिश्ते हमारे पास मौजूद भी हैं।

ग़रीबों, मजबूरों, असहाय लोगों, बीमारों के दवा–इलाज, मुसीबत ज़दा मुसाफ़िरों वगैरह की ख़िदमत भी इस्तेताअ़त (क्षमता) के मुताबिक़ की जाती है।

इसके अलावा जुल्म–ओ–अत्याचार, अन्याय, धार्मिक एवं सामाजिक बुराईयों के ख़िलाफ़ भी अ़मली मैदान में बेख़ौफ़ व बेबाक तरीक़े से जुलूस, ज़िला कलेक्ट्रेट पर धरना–प्रदर्शन वगैरह करके अधिकारियों के ज़रिये अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिशें भी की जाती हैं और इसमें प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टी.वी.) वगैरह का भी खुलकर सहयोग लिया जाता है।

इस्लामिक रिसर्च सेन्टर में नमाज़ पंजगाना का एहतमाम भी किया जाता है, अब तो जगह भी छोटी पड़ रही है।

अभी हमें आधुनिक यन्त्रों (कम्प्यूटर, इन्वर्टर, वीडियो कैमरा, मिक्सर वगैरह) किताबों, आलमारियों की सख़्त ज़रूरत है। पानी की बहुत दिक़्कत होती है, लिहाज़ा बोरिंग की भी ज़रूरत है। वुज़ूख़ाना, बैतुलख़ला व इस्तिन्जाख़ाना, हमाम वगैरह भी इन्शाअल्लाह बनवाना है। जगह तंग पड़ने की वजह से उसे कुछ बढ़वाना भी है। इन सभी कामों के लिए लाखों रूपये की ज़रूरत है। **लिहाज़ा........**

आप हज़रात से गुज़ारिश की जाती है कि अपना आर्थिक सहयोग इन नेक कामों में बढ़–चढ़कर करें ताकि ये काम और अच्छी तरह से अंजाम पा सकें और आप के लिये इन्शाअल्लाह सदक़–ए–जारिया भी बन सके।

नोटः– इस छोटी किताब की क़ीमत 50/– रू0 भी आपका सहयोग ही है। (खुर्शीद अ़ब्दुर्रशीद 'मुहम्मदी')

इस किताब के लेखक जनाब खुर्शीद अ़ब्दुर्रशीद 'मुहम्मदी' की कुरआन–ओ– हदीस से मुदल्लल ठोस, बेख़ौफ़ व बेबाक तक़रीर कराने के लिए राब्ता करें।